1. 00 P. M.

THE AUTHORISED TRANSLATIONS (CENTRAL LAWS) AMENDMENT BILL, 1987

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI) ': Madam, I beg to move:

"That the Bill to amend the Authorised Translations (Central Laws) Act, 1973, be taken into consideration. "

Madam, under the Official Language Act, 1963, a translation in Hindi of any Central Act or of any Ordinance promulgated by the President or of any order, rule, regulation or bye-law issued the Constitution or under any Central Act published under the authority of the President is deemed to be its authoritative text in Hindi.. However, at present there is no provision for issue of an authoritative text of Central Acts etc. in the other official languages of the States. Under section 2 of the Authorised Translation (Central Laws) Act, 1973, a translation of a Central Act etc. issued under the authority of the President in a language specified in the Eighth Schedule to the Constitution, other than Hindi, is its authorised translation. Demands have been made from time to time for making provision for an authoritative text of the Central Acts etc. in the languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution, other than Hindi. This Amendment Bill has been introduced to fulfil this demand. After enactment of this Bill, it will be possible to make available authorised texts of Central Acts in languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution other than Hindi.

This will facilitate their being quoted before the courts situated in non-Hindi speaking States and thus facilitate the use of the official language of those States in courts.

The Bill is an important steps for bringing the use of languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution in the field of law in non-Hindi speaking States.

With these words, I would commend to the House that the Bill be taken into consideration and passed unanimously.

The question was proposed.

DR. R. K. PODDAR (West Bengal): Madam, Deputy Chairman, I rise to support the Bill, but is curious why the Government has slept all these years to make this amendment. Shri Buta Singh in his Statement of Objects and Reasons providing authoritative texts of Central Acts etc. in languages other than Hindi specified in the Eighth Schedule of the Translation (Central Laws) Act of 1973 for there is no provision in the Authorised Constitution.

Now, has the Minister really asked himself why at present there is no such thing. He, perhaps, does not know the answer. The answer is that the Union Government has really a step-motherly attitude towards languages other than Hindi. All the funds up till now have been spent on translation, I guess, I do not know the actual percentage, but I would guess that perhaps more than 99 per cent of the funds have been spent on translation of basic documents like the Constitution and other laws from English to Hindi and nothing has been spent for other languages, regional languages. Now, everybody all these years has been shedding crocodile tears and saying- that regional languages should be adopted in all States especially in education. But, Madam, how can the regional languages be adopted in education, if they are neglected in other walks of life, such as, administration, commerce, law and specially in the administration of justice. So, all these wishes have remained pious wishes that regional languages will be developed. If you keep this law only on paper and do not do anything to help the States to translate, States in which the population speaks languages other than Hindi do not help the States financially to make those basic documents in their own language, like the Constitution etc., they will not be able to do so, because you are squeezing the States. Even at present, you have a • proposal to take away sales-tax from States to Centre. In the case of. West Bengal, you are not doing freight equalisation so that the State can gain something and you are deciding administered price-rise from which the States do not get anything. So, unless you commit the States

specifically for this purpose to have then-basic documents translated in their own regional languages, this will remain still a pious wish as it has remained all these 35 years since introduction of the Constitution.

One thing more I would like to say. There are many languages in India, especially Nepali language, which you still hesitate to incorporate in the Eighth Schedule, thereby increasing suspicion in the minds of our Nepali-speaking brethren and creating problems for West Bengal. Though it is not relevant to this Bill, I would request the Government to consider it seriously and include it as quickly as I possible.

With these words, I support the Bill.

उपसभापति जी, जो विधेयक पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मुझे निवेदन यह करना है कि जो हमारी भाषायें हैं, क्षेत्रीय भाषायें हैं, उन सबका मान देश में बढ़ना चाहिये, उनको आगे आना चाहिये और हिन्दी जो राष्ट्रभाषा है उसका सम्मान जिस तरह से राष्ट्रभाषा है, यह होना चाहिये।

दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे जापान, चीन और रूस जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह लोग अपनी भाषा में ही ज्यादातर काम करते हैं। उनके जो लोग विदेश में जायेंगे, कहीं भी जायेंगे, अपनी भाषा पर ही उनको ज्यादा गर्व है। अभी तक हमारे देश में और देश से बाहर राष्ट्रभाषा हिन्दी को उतना मान नहीं है, जितना अंग्रेजी को है। जब कि संविधान ने हिन्दी को मान्यता दी है, तो आज देश को आजाद हुए काफी समय हो गया, पर हिन्दी का स्थान वह नहीं है, जो हिन्दी का होना चाहिये।

मैं इस विधेयक के माध्यम से गृह मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि विभिन्न विभागों में हिन्दी के बारे में जो लिखा जाता है, कहा जाता है, उसका उलट पाया जाता है और गृह मंत्रालय की तो खास करके जिम्मेदारी है कि वह हिन्दी के बारे में आगे बढ़े, लेकिन कोई भी विभाग क्यों न हो, उसके लिये सवाल भी किये जायेंगे, लिखा भी जायेगा लेकिन विभागों में उस पर उतना अमल नहीं है, जितना होना चाहिये। इस पर अमल होना जरूरी है।

सदन में भी, उपसभापति जी, आपने प्रायः देखा होगा कि स्टेटमेंट अंग्रेजी में जरूर आ जायेगा, हिन्दी में आये या न आये। तो यह जो उपेक्षा की भावनायें हैं हिन्दी के बारे में, वह कुछ अच्छी नहीं हैं। इतनी देर तक उनको नहीं रहना चाहिये।

मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि देश और विदेश में अब लन्दन में एक मीटिंग हुई, सभापति जी, जिसमें यूरोप के कुछ देश हैं--मारीशस है, मेरा एक सवाल भी आया, उसका जवाब भी थोड़ा सा सन्तोष-जनक तो है गवर्नमेंट का यहां लन्दन में सोचा जा रहा है कि राष्ट्र संघ में हिन्दी को होना चाहिये और उन्होंने फिर यह कहा कि हम दूसरा सम्मेलन हालैंड में करने जा रहे हैं इसी के बारे में।

तो बाहरी देशों में, यूरोप में, रूस में और जापान में हिन्दी के बारे में सोचा जाता है और फ्रांस में तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी हो रहा है हिन्दी के लिये, लेकिन हमारे यहां गवर्नमेंट का ख्याल यह नहीं हुआ पहले से कि जब बाहर के लोग बात उठाते हैं कि राष्ट्र संघ में हिन्दी को भी होना चाहिये, तब भारत सरकार का जो उत्तर मिला है, यह सन्तोषजनक तो है कि हम इस पर विचार कर रहे

□ [श्री राम चन्द्र विकल]

हैं, लेकिन खाली विचार कर रहे हैं, इतना कहना थोड़ा सन्देह जाहिर करता है। साफ कहना चाहिये कि अगर राष्ट्र संघ में हिन्दी भाषा को होना चाहिये, जैसे और भाषायें हैं, और राष्ट्रों की भाषायें हैं, तो राष्ट्र संघ में हिन्दी के बारे में सरकार का स्पष्ट मत जाना चाहिये और देश में हिन्दी का सम्मान अंग्रेजी से पहले होना चाहिये। अंग्रेजी न हो यह मैं कहने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि दुनिया भर के मामले में अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन हिन्दी से ज्यादा जरूरी अंग्रेजी है, यह हमारे देश में नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, और मंत्री जी से यह आशा करता हूं कि सभी विभागों में देश के अन्दर और विदेश में हिन्दी का मान राष्ट्रभाषा की तरह ही होना चाहिये धन्यवाद।

*SHRI R. T. GOPALAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, I thank you for having given me the opportunity to take part in the discussion on the Authorised Translations (Central Laws) Amendment Bill, 1987. This is a very simple amendment that enables the authoritative translation of all the Central Laws into the regional languages. It is a long felt desire that - has been "echoed from different parts of the country, particularly Tamilnadu. There is no differnce of opinions as regards the spirit of this Bill. But what sounds strange is the delay in bringing this legislation. Is it because of the Government's attitude to continue with the Hindi domination ? Or because, to retard the development of the regional languages that are richer than Hindi, both, in literature and grammar? I feel, the Central Government will not let such doubts to be created in the minds of the people henceforth.

This Bill says that only authoritative texts of translations can be used in the Courts of law. So, again doubt arises, whether the Central Government wants to take over the translation job on itself ? Or does it want to censor the translations ? It is my sincere request that the job of translation should be left to the respective state Governments. If the Centre involves itself into the making of the Authoritative Texts by way of censor or approval, 'I am certain, this bill will be of no use.

There is a possibility of another problem cropping up after this bill is passed. It has been the policy of the Government that the Chief Justice of the High Court of a state should be from outside the state. Under these circumstances, problem of language can arise in the High Court. For example, a person, who does not know Tamil is appointed as the Chief Justice of the Tamilnadu High Court. In the Court, the proceedings take place in Tamil before him. Even laws are referred to in Tamil.

In such case, what would be plight of the Chief Justice ? He would be placed in unfortunate situation to depend on other judges even to write the judgement. In view of these difficulties, the policy of appointing the Chief Justice of High Court from outside the state, will have to be reconsidered. I would like the Hon'ble Minister to enlighten me on this issue.

Madam, making use of this opportunity, I wish to point out how the regional languages are being ignored at different levels. The government spends crores of rupees for spreading Hindi and the growth of Sanskrit, which is no more spoken anywhere. At the same time, it is very [1] painful to note that the regional languages are being treated like enemy's children. To cite an example, in this august House, there is provision for simultaneous Interpretation in both, Hindi and English throughout the day. But, there is provision only to speak in regional languages and not to hear the entire proceedings of the House. I am aware how much it would cost our exchequer to make such provision. But, Hindi and English are not the only doors to the province of knowledge. There are Hon'ble Members, who know only the language of their region, know the pulse and heart beat of their

---

[1] English translation of the original speech delivered in Tamil.

people belter than anyone. The fact that they cannot speak without prior notice and that they cannot hear the proceedings of the House in their language are contrary to the very spirit of democracy. The Constitution of India, nowhere mentions that only those, who know Hindi or English can become Members of Parliament. So this is also against the spirit of Constitution. Before I conclude, I appeal to the government to make provisions to hear the entire proceedings of the House in regional languages. I support this bill on behalf of A. I. A. D. M. K.

Thank you.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra): Respected Madam, this is a very social enactment.

SHRI B.. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Speak in Marathi.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: I can better express myself in English, that is my difficulty. Kindly excuse me.

Madam, the political will of the Government is always expressed through enactments. So far most of the Acts are published in English and Hindi only. The result is that they become limited to the knowledge of the elite or the intellectuals. Commonmen or the masses are unable to understand the law. By this present enactment or the Bill, the Government is trying to make the commonmen or the masses more aware by translating the law or the enactment in different languages. It is the need of the day that the enactment or the law should be translated in different languages so that the common man can understand it. When we talk of socialism, we talk of all the masses of the country. It is also essential that no language which is either spoken or written in the country is left untouched. Otherwise, after some time, the same difficulty will arise that some of the people will know it and some of the people may not know it. So, I support this legislation on the point that the law will henceforth be within the knowledge of the common masses.

In this connection, I would like to draw the attention of this august House to article 344 and Committee of Parliament on official language. Up to this time what is the official language of the country ? Most of the work is carried out in English. In some parts of the country it is carried out in Hindi. There is no uniformity. Shri Vikal has rightly mentioned about his experience when he visited abroad. Therefore, we should follow this article specifically, which says:

> "The President shall, at the expiration of five years from the commencement of - the Constitution and thereafter at the expiration of 10 years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages. "

Here I want to lay stress on the words "representing the different languages- specified in the Eighth Schedule as the Presi-. dent may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission. "

Madam, the provision about inclusion of different languages in the Eighth Schedule is very old. There are so many other languages which have been left out from the Schedule. Therefore I would like to draw the attention of the hon. Minister to this and request him to consider this point, or have it examined by the Commission. This will help in solving the difficulties of the masses. I, therefore, support the Bill. Thank you.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : उपसभापति महोदया मैं इस प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि अब सरकार ने कई दिन के बाद, कई सालों के बाद इस चीज को महसूस किया कि हिन्दुस्तान की जो दूसरी भाषायें हैं उनमें भी अनुवाद हो । आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में केवल 5 प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी जानने वाले हैं और 95 प्रतिशत जो गांवों में बसते हैं। उनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। उनकी भाषा हिन्दी, तेलग, तमिल,

□[**श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी**]

मलयालम, बंगाली, उड़िया, गुजराती या हिन्दुस्तान की दूसरी भाषायें ह और इन सब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। लेकिन हिन्दुस्तान को आजाद हुए आज 40 साल हो गये हैं, इस सदन में और बाहर भी जितने भी सरकारी कारोबार हैं, वह अंग्रेजी में होते हैं। हम को कभी कभी अंग्रेजी में भाषण देते समय शर्म भी आती है, लेकिन कभी कभी अंग्रेजी में ही भाषण करना पड़ता है,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमति कृष्णा साही) : सभी लोगों को मत कहिये, अधिकांश कहिये।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आपको और चन्द लोगों को छोड़कर। किसी ने मुझे यह भी बताया कि यदि हिन्दी में भाषण देंगे तो पत्रकार पब्लिसिटी नहीं देंगे। मैंने कहा कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं होगी। मैं जब सदन में हूंगा और देश के लोगों के सामने कहूंगा तो अपनी भाषा में ही कहने की कोशिश करूंगा। कभी कभी मजबूरी भी हो सकती है कि मैं इतनी हिम्मत न कर पाऊं, लेकिन करनी ही पड़ेगी।

श्रीमती कृष्णा साही : लेकिन आप बहुत अच्छी हिन्दी बोल रहे हैं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : उप सभापति महोदय, हम सभी यह जानते हैं कि जितने भी हमारे सरकारी कारोबार हैं और जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनके भाषण ज्यादातर भारतीय भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में होते हैं। यह एक रिवाज, कल्चर या एक वातावरण बन गया है। इसको बदलना होगा। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं की उन्नति होनी चाहिये। हिन्दी के साथ साथ सभी भाषाओं की उन्नति होनी चाहिये। हिन्दी तो राष्ट्रभाषा है नहीं, लेकिन हिन्दी के साथ साथ जितनी हिन्दुस्तान की दूसरी भाषायें हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, बंगाली है उनकी उन्नति भी जरूर होनी चाहिये। उनकी उन्नति के लिये केन्द्र सरकार जो धन खर्च कर सकती है, उसको करना ही चाहिये।

अभी प्रश्नोत्तर के दौरान मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि हिन्दुस्तान भर में सिर्फ दो या तीन संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, एक काशी में, दूसरा दरभंगा में और एक और कहीं।

श्रीमती कृष्णा साही : एक दरभंगा में, दूसरा वाराणसी और तीसरा पुरी में। पुरी का तो अभी अभी हुआ है।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : उप-सभापति महोदया, यह बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े देश में केवल तीन संस्कृत विश्वविद्यालय हैं।

श्री हेच० हनुमनतप्पा (कर्नाटक) : इतने बड़े देश में जानने वाले कितने हैं, यह भी देखना होगा।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : लेकिन अंग्रेजी जानने वाले कितने हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उस समय अंग्रेजी जानने वाला तो जिले में एक भी नहीं था।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : उपसभापति महोदया, मैं जर्मनी गया और मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहां के विश्वविद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। लेकिन जब हमसे संस्कृत भाषा में सवाल पूछा गया तो हम जवाब नहीं दे सके। हिन्दुस्तान की जितनी भी भाषायें हैं, उनकी उन्नति होनी चाहिये हमारी भाषाओं की उन्नति होनी चाहिये।

हिन्दुस्तान की ज्यादा से ज्यादा जनता जिस भाषा को समझती है, बोलती है, उनकी भाषाओं में हम उनसे वोट मांगने जाते हैं, लेकिन जब सदन में आते हैं तो यहां पर दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा में भाषण देते हैं, यह हमारे लिये शर्म की बात है, मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त कन्नड़ में भाषण करें तो बड़ी खुशी होगी...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You have mistaken me. I have not said anything about the regional languages.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : आप मेरी भावनाओं को समझने की कृपा करें।

उपसभापति : आपकी भावनाओं को मैं समझने को तैयार हूं आप कहिये ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मैं कहना चाहता हूं कि आज जो विधेयक आपने हमारे सामने रखा है यह स्वागत योग्य है। जितने भी अनुवाद हैं, उनके बारे में मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि अनुवाद सरल होने चाहियें ताकि लोग उसको समझ सकें। मेरे पास इस समय दो विधेयकों की सूचियां हैं, एक अंग्रेजी का है, और दूसरा हिन्दी का है। जब मैं हिन्दी में पढ़ता हूं तो समझ नहीं पाता हूं और मुझे उसे समझने के लिये मुझे अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ा। तो जो भी अनुवाद हों वे सरल हों चाहे वे हिन्दी में हों, तमिल में हों, तेलुगु में हों या कन्नड़ में हों, वे जनता की समझ में आने चाहिएं।

SHRI N. E. BALARAM. (Kerala): What is wrong with the Hindi translation ?

SHR; SATYA PRAKASH MALAVIYA: Nobody can follow it.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : यह सरल होगा तभी लोग इसको समझ सकेंगे और हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा बन सकती है ।

The translation should be understandable.

आपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा है कि इसको अगर सरकारी मंजूरी नहीं दी जायेगी तो अदालतों में अन्य भाषाओं में अनुवाद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि हिन्दुस्तान की जितनी भी भाषायें हैं उनमें अनुवाद हो और यह अनुवाद करने के लिये जो विधेयक आप लाये हैं इसका मैं स्वागत करता हूं। आज अदालतों में निर्णय होते हैं लेकिन वे भी जनता की भाषाओं में नहीं होते। उनको समझाने के लिये दूसरे का सहारा लेना पड़ता है और वह गलत भी बता सकता है, सही भी हो सकता है। इसलिये सरकार को देखना चाहिये कि जो भी अदालतों में फैसले होते हैं चाहे वे तमिल में हों, तेलुगु में हों या हिन्दी में हों, वे जनता की भाषा में होने चाहिये, वहां की प्रान्तीय भाषाओं में होने चाहियें प्रान्तीय भाषाओं को अदालतों में फैसले देने के लिए अमल में लाया जाये। मुझे याद है जब मैं अभी नागालैंड गया था इलैक्शन के लिये तो जब मैं वहां गया तो मुझे बताया गया कि वहां की सरकारी भाषा अंग्रेजी है, तो मैं अंग्रेजी में भाषण देने लगा तो लोगों ने उसका अनुवाद अपनी भाषा में किया, वह अंग्रेजी नहीं समझते। मुझे भी ताज्जुब लगा कि वहां भी लोग अंग्रेजी नहीं समझते। वहां की स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। मगर उनकी लिपि रोमन लिपि है। जो उन्होंने अपनी भाषा के लिये अपना ली है, उन्होंने कहा कि लिपि तो हमने अपना ली है लेकिन हमारी भाषा अंग्रेजी नहीं है। यही हालत सारे भारत की है इसलिये जो विधेयक आप लाये हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितनी भी अदालती कार्यवाही हो वह देश की भाषाओं में होनी चाहिये। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा विश्व-

□ [श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

विद्यालय, महा विद्यालय, आपको खोलने चाहियें, भारतीय भाषाओं के लिये और केन्द्र सरकार को इसके लिये सभी राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना चाहिये। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the House stands adjourned for lunch and will meet again at 2. 30 P. M.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

Trie House re-assembled, after lunch, at thirty-three minutes past two of the clock, The Vice-Chairman, Shri Jagesh Desai, in the Chair.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने जो प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 का संशोधन करने के लिए विधेयक, 1987 प्रस्तुत किया है वह कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। हिन्दी और अंग्रेजी दो भाषाएं केन्द्रीय शासन की कर्म की भाषाएं हैं लेकिन भारतीय भाषाओं को पहली बार इस संशोधित रूप में मान्यता दी गयी है। "संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हिन्दी से भिन्न भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, आदि के प्राधिकृत पाठों की आम मांग भी होती रही है। प्रस्तावित संशोधन इस मांग की पूर्ति करने के लिए लाया जा रहा है। इससे संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट, हिन्दी से भिन्न भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों आदि के प्राधिकृत पाठों को न्यायालयों में कोट किया जाना संभव हो सकेगा और ऐसे राज्यों में अवस्थित विधि न्यायालयों में इन भाषाओं का प्रयोग सुकर बनाया जा सकेगा जहां ऐसी भाषाएं राजभाषाएं हैं।"

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज देश में अनेक भाषाएं हैं जो अनेक क्षेत्रों में बोली जाती हैं। हमारी सरकार तीन-भाषा फार्मूले विश्वास करती है। क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और एक अन्य वैकल्पिक भाषा के अध्ययन का प्रावधान किया गया है। हमारा दुर्भाग्य था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने हजारों वर्षों की दासता की बेड़ी को एक झटके से तोड़ लिया, लेकिन भाषा जो होती है, जो अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, हम जो कुछ विवेक से सोचते हैं, दिमाग में जो कुछ हमारे विचार उठते हैं उनको जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसका एक मात्र माध्यम भाषा होती है। लेकिन हमने गुलामी की भाषा को जो सैकड़ों वर्षों से इस देश की राजभाषा थी, उसी अंग्रेजी को कबूल किया। हम दासता से मुक्त तो हो गये लेकिन हमने अंग्रेजी की दासता को कबूल किया और सारी स्वतंत्रता की चीजें हमने उसी रूप में अंग्रेजी में चलने दीं। चाहे वह संविधान का निर्माण हो, चाहे कोर्ट के डाक्युमेंट्स हों वह सब हमने अंग्रेजी में ही तैयार किया। महोदय, यह एक ऐतिहासिक दिन है जब कि हम भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देने जा रहे हैं। हिन्दी की लिपि, नागरी लिपि इतनी सुदृढ़ है, इतनी सहज है, इतनी सरल है कि इसको जल्दी सीखने में कोई मुश्किल नहीं होती है। इतनी जल्दी सीखी जाने वाली लिपि दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। देवनागरी लिपि में संस्कृत भी लिखी जाती है। समस्त भारतीय भाषाओं के मूल में संस्कृत है और संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। संस्कृत के जो श्लोक सुभाषित आदि हैं, चरित्र निर्माण के तात्विक श्लोक हैं, जो सुभाषित आदि हैं, उनको अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए और हर स्तर पर उसको पढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कोई व्याकरणाचार्य हो, कोई ज्योतिषाचार्य हो और कोई आचार्य बने यह तो अपनी जगह है लेकिन जो हमारी भारतीयता के संस्कार हैं, उनके निमित्त संस्कृत अनिवार्य रूप में उसके सुभाषित आदि को प्रत्येक स्तर पर आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना ही चाहिए। जहां तक हिन्दी का प्रश्न है हिन्दी का किसी भारतीय

भाषा से विरोध नहीं है। समस्त भारतीय भाषाएं हिन्दी की छोटी बहनें हैं। बड़ी बहन होने के नाते हिन्दी उन्हें सम्पन्न होना देखना चाहेगी, उन्हें फलता-फूलता देखकर अधिक खुश होगी और प्रसन्नता का अनुभव करेगी और जो अंग्रेजी है उसे इस देश से जाना ही होगा। इस देश में भारतीय भाषाओं की स्थापना होनी ही है। अंग्रेजी के माध्यम से हम जो कुछ अभिव्यक्त करते हैं चाहे वह संविधान में प्रकट करें, चाहे अन्यत्र प्रकट करें और चाहे सरकारी कामकाज में प्रकट करें लेकिन वह अपने देश की भाषा नहीं हो सकती। वह विदेशी भाषा है और विदेशी भाषा में हम भावाभिव्यक्ति करें, सरकार उससे अपना कामकाज चलाये यह उचित नहीं है। इस संदर्भ में हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सबसे पहले ध्यान दिया। उन्होंने 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की और आपको माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जानकर खुशी होगी कि संसदीय राज भाषा समिति ने, जो गृह मंत्रालय के अन्तर्गत है, जो गृह मंत्री की अध्यक्षता में काम करती है और जिसमें 20 लोक सभा के और 10 राज्य सभा के चुने हुए सदस्य हैं उन्होंने, दो खंड रिपोर्ट अपनी दे दी है, अनुवाद खंड और मैकेनिकल असिस्टेंस और शिक्षा तथा अन्य देना है। महोदय, जब भारतीय भाषायें और हिन्दी इस देश की अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगी, सारे कामकाज का माध्यम बनेगी तभी यहां पर प्रजातंत्र सफल होगा। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो दो प्रतिशत से भी कम हैं वे कभी यह नहीं चाहते कि भारतीय भाषायें यहां की सरकारी कामकाज की भाषा हों। इनके द्वारा जो गरीबी की रेखा के नीचे जिंदा रह रहे लोग हैं, उनके लिए जो योजनायें बनती हैं वे भी अंग्रेजी में बनती हैं, उन्हें जो कागजात दिये जाते हैं वे भी अंग्रेजी में दिये जाते हैं जिसे कि वे समझते ही नहीं हैं। इस देश की निरक्षर जनता या तो अपनी मातृ भाषा समझती है या फिर उसके बाद यदि वह कोई भारतीय भाषा समझती है तो हिन्दी को समझती है। इसलिए अंग्रेजी के स्थान पर हर स्तर पर हिन्दी में काम होना चाहिए। अनुवाद की बात आई। अनेकों मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समिति और संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में मुझे अनुभव है कि सारे रूल, ऐक्ट, कोड और मैनुवल हजारों हजार की संख्या भारत सरकार के अभी भी अंग्रेजी में पड़े हुए हैं। अनुवाद ब्यूरो जो हमारा है उसके पास इतना अधिक काम है कि दो-दो साल, चार-चार साल के डाकुमेंट्स जो अनुवाद के लिए मिनिस्ट्री के द्वारा भेजे जाते हैं उनका अनुवाद नहीं हो पाता। इसलिए बड़ी बृहद योजना हमने इस कानून के माध्यम से ग्रहण की है कि समस्त भारतीय भाषाओं के कानूनी एक्ट हम उसी भाषा में उपलब्ध करें। यह केवल संविधान में संशोधन करने से ही नहीं होगा बल्कि उसके लिए मशीनरी जो है अनुवादकों की जो एक अच्छी टीम है हर जगह स्थापित होनी चाहिए, तब जाकर यथासंभव हम वांछित सामग्री दे पायेंगे नहीं तो जिस तरह से आज हम 40 वर्षों के बाद भी अपनी राजभाषा नहीं बना पाए उसी तरह से एक्ट और रूल में तो हम प्रावधान कर लेंगे लेकिन कार्यान्वयन मुश्किल होगा। इसलिए समस्त भारतीय भाषाओं के अच्छे अनुवादकों की बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए हमारे माननीय मन्त्री जी विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो भी गृह मंत्रालय के अन्तर्गत काम करता है। इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि विश्व हिन्दी सम्मेलन हुए। 1983 में तीसरा विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ था चार वर्ष हो चुके हैं। भारतीय भाषाओं से हिन्दी सम्पन्न होती है और हिन्दी का कर्ता होने के नाते मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो विद्वानों ने अपनी ब्यूरोक्रेसी हिन्दी के क्षेत्र में बना रखी है मैं अध्यापक भी हिन्दी का रहा हूं मैं जानता हूं

□[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

कि रस, सिद्धांत, प्रकृति, चित्रण, रीतिकाल, आदिकाल से ऊपर उठ कर हिन्दी को देखने की विद्वानों ने आज भी यह कोशिश नहीं की है। जो तमिलनाडु में हिन्दी बोली जाती है, जो केरल में हिन्दी बोली जाती है, जो गुजरात में हिन्दी बोली जाती है, जो मिजोरम में हिन्दी बोली जाती है, जो मेघालय में हिन्दी बोली जाती है, और जो नागालैण्ड में हिन्दी बोली जाती है उस हिन्दी का क्या होगा? विद्वान कहेंगे कि इस में स्त्रीलिंग पुलिंग की गलती है इसमें व्याकरण का दोष है इसमें भाषा की एकरूपता नहीं है। यह सब बिल्कुल बन्द होना चाहिए। अगर हिन्दी का विकास करना है तो कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक इस देश की जनता विभिन्न भाषाओं के लोग जिस रूप में जहां भी जिस हिन्दी का उच्चारण करते हैं उसे हमें आत्मसात करना होगा और हम अपने दिल और दिमाग के दरवाजों को बन्द नहीं रखना होगा खोलना होगा जो भी जिस रूप में हिन्दी का प्रयोग करता है उसको हम ग्रहण करके हम व्याकरण को फिर से नया बना लेंगे। हम नये शब्दों को अपने शब्द कोषों में ग्रहण कर लेंगे लेकिन जिस गति से हिन्दी भारत की बोली है, उसे अपने आप पनपने दो, जो देश के विविध भाग में झरने की धारा की तरह प्रवाहित हो रही है, वही हिन्दी देश के विविध भाषा-भाषियों की ओर से प्रयुक्त हो रही है, उसको आत्मसात करना होगा, ग्रहण करना होगा उसे शुद्ध अशुद्ध व्याकरण की एकरूपता के बन्धन में बांध कर हम हिन्दी को नहीं ला सकते। जहां तक इस एक्ट की बात है निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं को समुन्नत होने का मौका मिलेगा और भारतीय भाषाएं विशेष महिमा और गरिमा की अनुभूति ग्रहण कर सकेंगी। मैं इस सदन के माध्यम से शासन से मांग करूंगा कि हम को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को और मजबूत बनाना है। अब अनेक भारतीय भाषाओं के विंग उसमें स्थापित होंगे। अगर हम अंग्रेजी से तमिल में अनुवाद करेंगे और उसे हम ठेके पर अनुवादक लाकर करायेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए राज्य गृह मन्त्री जी बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव हैड के नाते उन पर विशेष दायित्व हो जाता है कि किस तरह से भारतीय भाषाओं के इन एक्ट्स का अनुवाद होगा और सारी चीजें कोर्ट और न्यायालयों में उपलब्ध होंगी, इस पर हमें विशेष रूप से कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तेज करके टाइम बाऊंड ढंग से इस चीज को करना होगा।

हमारे राष्ट्र का अपना चिन्ह है। संसद् भवन के द्वार के आन्तरिक गुम्बदों पर संस्कृत के उच्च-कोटि के महा वाक्य उद्धृत हैं लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हम चाहें कि इस देश की जनता की आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन शासन के माध्यम से या सदन के माध्यम से या सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से कर सकेंगे तो यह असम्भव होगा। इसलिए भारतीय भाषाओं और हिन्दी को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए देश में गुलामी की मानसिकता का अवशेष एक मात्र जो विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी के रूप में बचा हुआ है उसे हमेशा के लिए तिरोहित करना होगा उससे पिंड छुड़ाना होगा तब जाकर हमारा जो एक्ट या इस तरह के और भी सरकार जो काम कर रही है उसको करने का फायदा होगा। जहां तक ब्यूरोक्रेट्स की बात है अब कम्प्यूटर तेजी से चले हैं वर्ड प्रोसेसर और टेलीप्रिंटर आदि चले हैं सबमें हमने अंग्रेजी शुरू कर दिया। बड़ी तेजी से कम्प्यूटराइजेशन हो रहा है। जब तक हिंदी के साफ्ट वेयर बनेंगे तब तक कम्प्यूटर के माध्यम से अंग्रेजी चारों तरफ पूरे देश में व्याप्त हो जायेगी। शासन ने कभी मना नहीं किया कि हिंदी या भारतीय भाषाओं के साफ्ट वेयर के कम्प्यूटर सप्लाई मत करो। कहीं कोई आदेश गृह मंत्रालय ने नहीं दिया, न किसी सरकार ने दिया। अंग्रेजी के कम्प्यूटरों को ब्यूरोक्रेट्स ने चला दिया और

इसको जब तक रिप्लेस करेंगे तब तक वर्षों बीत जायेंगे, कई पंचवर्षीय योजनाएं बीत जायेंगी। इस तरह का जो क्लिंक होता है ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से यह हिंदी और भारतीय भाषाओं के अवसान हेतु होता है, इनके उत्थान हेतु नहीं होता है। इसे सख्ती से बन्द करना होगा और इसमें ब्यूरोक्रेट्स की एकाउन्टेबिलिटी फिक्स करनी होगी और हमें चेक पाइंट्स फिक्स करने होंगे ।

भारत की भाषाओं में संतों की वाणी का सम्मिश्रण हुआ है। भारत की भाषाओं और हिंदी में सूर, तुलसी और तुंचन पुरंदरदास जैसे महान संतों ने अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित करके अपने व्यक्तिचित्त को लोक-चित्त बनाकर जगत जन हित चिंतन की साधना की है और वह जगत मानवीय हित चिंतन की साधना ही भारतीय संस्कृति की, भारत की वाणी है। इस देश में गरीबी रेखा को हमेशा के लिए समाप्त करना है तो जो भी भारतीय योजनाएं बनें जो भी फार्म्स कर्ज वगैरह के हों या जनता के लिए जो साहित्य या सामग्री हम उपलब्ध कराते हैं वह भारतीय भाषाओं में हो और हिंदी में हो, अंग्रजी में कतई नहीं, तब जाकर जनता उसे समझ पायगी नहीं तो वह हस्ताक्षर कर देती है, फार्म कोई दूसरा भरता है, क्या विडम्बना है।

संविधान में यह बहुत ही सुन्दर संशोधन किया जा रहा है। दो और चीजें माननीय उपसभाध्यक्ष जी आपके माध्यम से मांग करूंगा। दुनियां में भारतीय मूल के लोग बहुत से देशों में निवास करते हैं। मारिशस में बसा हुआ व्यक्ति भारत को स्वर्ग से बढ़कर समझता है। आपको अनुभव होगा। सारे सदन के अनेक लोग गये हैं वहां। उनको अनुभव होगा। उसी तरह वे भाषा को भी समझते हैं। भाषा संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं मांग करूंगा कि 4 वर्ष हो गये हैं गृह मंत्रालय का बहुत बड़ा हाथ होता है अतः विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन होना ही चाहिए। दुनियां में हम तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या में हिंदी भाषा-भाषी लोग हैं, भारतीय भाषा-भाषी लोग हैं तो राष्ट्रसंघ की भाषा हिंदी क्यों ने बने इसमें 40 वर्षों में भी हम कोई उचित कदम नहीं उठा पाये हैं। इस पर भी, हमारे माननीय राज्य गृह मंत्री जी बैठे हैं, हमें विचार करना होगा और राष्ट्रसंघ की भाषा में भी हिंदी को बनाना होगा। जापान हो, चीन हो, रूस हो और कोई भी बड़ा देश जिसने उन्नति की है उसने अंग्रेजी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाकर उन्नति नहीं की है, सबने अपनी भाषा में अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। अपने ज्ञान का सर्वोच्च शोध है जो उनके चिंतन का सर्वस्व निष्कर्ष है, तत्व है, दर्शन का, मूल एलीमेंट हैं उसको अपनी भाषाओं में जैसे जापान ने जापानी में किया, चाइनीज में किया, रशियन में किया गया है तब जाकर के वहां की प्रत्येक जनता के हृदय में अपनी राष्ट्रीयता अपनी क्षमता, अपनी गरिमा का बोध हुआ है। मैं यह मानता हूं कि अपनी गरिमा का बोध बिना अपनी भाषा के नहीं हो सकता है। भारतीय भाषाएं हिंदी की परक हैं। हिंदी की नहीं तामिल को बना दो राष्ट्रभाषा, तेलगु को बना दो राष्ट्रभाषा मिजोरम प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको बना दो, असीमिया को बना दो, राष्ट्रभाषा लेकिन गुलामीकी, दासता की भाषा जो आजतक पराधीन बनाए हुए है हमारी मानसिकता को जो पराधीनता की बेड़ियों में हमें जकड़े हुए है उसको हृदय से इस देश से हटाना होगा तब जाकर इस तरह जो संशोधन आते हैं उनको लाना सफल और सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो गृह मंत्रालय की ओर से भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए जो यह पहला ऐतिहासिक कदम उठाया गया है

□ [डा० रत्नाकर पाण्डेय]

मैं शासन को विशेषत: गृह मंत्रालय को और उसके मंत्री श्री पाणिग्रही जी को हार्दिक बधाई देता हूं और इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं । आपने इतना विस्तार से बोलने का मौका दिया उपसभाध्यक्ष जी इसके लिए मैं आपके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Authorised Translations (Central Laws) Amendment Bill, 1987 brought forward by the Home Minister. But after listening to so many speeches and particularly of Dr. Ratnakar Pandey, I am constrained to express my doubt that this Bill also will find a place in the cupboards of the Central Secretariat. In the case of Hindi, even after 24 years, if Shri Ratnakar Pandey could stand up and say this has not been given even after the passing of the Official Languages Act, I am not happy in speaking in English in the Rajya Sabha. I would have been happy to speak in Kannada. But, unfortunately, there is no arrangement for making a translation eventhough we get the synopsis. Hon. Members will not follow our language. That will not serve any useful purpose. That is why I have opted, much reluctantly, to speak in a language which most of the people of this country do not understand.

Much has been discussed and argued on behalf of Hindi and it has become the Official Language also. But has it changed the system of our functioning ? No. We are still thinking in English, talking in' English, writing in English and then translating it. I would ask the people who argue for Hindi: Why should you not start thinking in Hindi, writing in Hindi and then ask for translations of Kannada, Tamil or Telugu ? Unless and until you do this, you will not achieve the result expected, the propagation of Hindi. I request the hon. Minister today, at least from the next Session, to supply us with the authorised translations, at the introduction stage, of whichever Bill or whichever Resolution is moved by the Government. I request the other hon. friends who want to express their sympathy with regional languages to say that we shall pass only those Bills which are supplied with translations simultaneously, by the Government, in all the languages enlisted in the Vill Schedule to the Constitution. We should vote a Bill along with the translations so that they will be the officially authorised translations. I shall be happy if the hon. Minister, in his reply, agrees to this proposal.

We pass a number of Bills in every Session. If they are not acted upon, if they are not implemented, people will not continue to repose confidence in Parliament. If a Bill is passed,, if it becomes an Act, it should be implemented carefully. Even the Secretariat, the Bureaucracy as we call it. should take note of the discussions in Parliament. It should take note of the thinking of the Members of Parliament. What is happening today ? A lot of things are said on the floor of the House only to become part of the proceedings. Nothing is being acted upon. We have to tighten up the administration and see that if something is said in Parliament, due notice of it is taken and implemented.

We want recognition of all the Ian- • guages under the Vill Schedule, we want translations in those languages to be authorised and want them to be authoritative documents to be used in the regional languages, in the regional courts and so on. Shri Ratnakar Pandey was saying that the Translation Section had been established and after, a number of years, even decades, they could not complete the work. So translation into regional languages later on would mean only. branches of the Translation Section and we would face the same problem of delay. So let us start from the next year itself to supply, even when a Bill comes before Parliament, its translations in all the languages. If it is sent for translation later on, it will be pending because it will have to take its course after the already pending work is over. These things will get accumulated for translation. If we pass an Act today, the official translation thereof should not come into our hands after ten years or twenty years or thirty years or forty years. If that is so, what is the use of passing this Bill now ? That is why I say that any new Bill that may be introduced in the House hereafter

should c-nmc come alone with about

the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution and then only the purpose will be served. All the Acts passed so far may be translated later. But the Bills which are to be introduced hereafter should have the translation in the regional languages. Otherwise, if we start translating all the Acts passed so far, 1 think it will take another decade or another century even to translate all of them. 1 would like the honourable Minister to reply to this and say whether he agrees with this while replying to the debate. I hope that the executive or the secretariat concerned will take note of this and see that if any Bill comes up here, it will have also the translation in the regional languages. Of course, I know the volume of work in- (volved and the infrastructure that is needed and the preparation that would be necessary. I would like to know whether the Government would come forward to do this. Let them at least start doing this so that it will take shape gradually and the purpose of passing this Bill will be achieved and it will be exhibited in the act of the Government. I repeat that, from. the coming session onwards, whatever Bills the Government brings forward, the Government should simultaneously supply the versions translated into the languages mentioned in the Eighth Schedule so that they can also form part of the Acts. Thank you. Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH-DESAI): Now, Dr. Bapu Kaldate.

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है इसमें मुझे लगता है कि सरकार बहुत दोषी है इसलिए कि आप ही ने जो उद्देश्यों के बारे में विवरण दिया है उसको अगर पढ़ें तो पता लगेगा कि कितनी देर हर काम में आप लगाते जा रहे हैं । इसके लिए आपका अभिनन्दन करने का सवाल ही नहीं है, आपके खिलाफ शिकायत कर सकता हूं और वह यह कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में परिच्छेद 2 में आपने लिखा है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) के अधीन हिंदी में प्राधिकृत पाठ का उपबंध कर दिया है यानी 1963 में प्राधिकृत पाठों का उपबंध आपने किया, 1973 में यह प्राधिकृत अनुवाद अधिनियम, 1973 की धारा 2 में, अगर 1963 में आपने उसका उपबंध किया है तो जब आपने 1973 में प्राधिकृत अनुवाद का विधेयक लाया उस समय ही अगर आप इसमें उसको जोड़ देते तो 1987 में यह संशोधन करने की जरूरत नहीं होती । तो जो अधिनियम जिसके बारे में आपने 1963 में कहा उसको संशोधित करने के लिए 24 साल लग गये यानी दो 'लप' का समय गया ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए]

मैं यह मानता हूं कि जितना समय आप ज्यादा लगाते रहेंगे उतना अच्छा नहीं होगा लेकिन मैं आपके उद्देश्य के प्रति आदर व्यक्त करता हूं और ठीक है देर है, अंधेर तो नहीं हुआ 24 साल के बाद ही सही।

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : आपकी इजाजत हो तो एक शेर

डा० बापू कालदाते : फरमाइए ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग :

"देर लगी आने में तुमको,
शुक्र है फिर भी आये तो।"

डा० बापू कालदाते : वही तो मैंने कहा कि देर हुई, लेकिन अंधेर नहीं हुआ, इतना तो पता लगता है आपने यह लाया इसके लिए, धन्यवाद देता हूं। भले ही 24 साल हुए लेकिन उसके बाद भी आपने यह प्रयास किया है कि इन प्राधिकृत पाठों के बारे में आपने संशोधन पेश किया। मैं इसके लिए कहता हूं कि यह भाषाओं का मामला है और मुझे यह भी

□(डा० बापू कालदाते)

लगता है कि इसको करने के लिए आपके ऊपर बहुत दबाव है। जहां तक मैं कारण का पता लगा सकता हूं वहां तक मुझे यह भी लगता है कि जब एकछत्र हकूमत इस देश में चलती थी तब तक जितना ध्यान भाषाओं के बारे में देना चाहिए था उतना नहीं दिया है, क्योंकि सारी राज्य रचना तो भाषाओं पर आधारित हो गई लेकिन तो भी नहीं दिया क्योंकि एक केन्द्र सरकार थी और उसकी शाखाएं काम करती थीं अलग-अलग राज्यों में उसके लिए जनभाषाओं का आदर करने की जो भी कुछ धारणा केन्द्रीय सरकार में होनी चाहिए थी, नहीं हुई थी। अब यह हो गया है कि सरकार अलग अलग रूप से आ रही है और वहां की जो सरकारें हैं वह अपनी-अपनी भाषाओं के बारे में आग्रही बन रही हैं उसका भी एक असर शायद आपके ऊपर हुआ होगा। आपने

3·00 P.M.

यह जो प्राधिकृत पाठों के बारे में एक संशोधन विधेयक लाया है, यह भी कोई बिगड़ा नहीं है, यह मैं मानता हूं। लेकिन इसमें मेरी दो बातें हैं एक तो जो हिंदी के मानने वाले हैं, मैं भी इनमें से एक हूं, सिद्धांत के रूप में मैं अंग्रेजी में नहीं बोलता, इस सदन में, इसलिए नहीं कि मेरी अंग्रेजी बहुत बुरी है, जितनी बुरी मेरी हिन्दी है, उतनी ही बुरी मेरी अंग्रेजी हो सकती है, यह कारण नहीं है लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हमारे सदन में, भारतीय सदन में भारतीय भाषाओं में बात करें, भले ही हिन्दी में या अगर हिन्दी में नहीं कर सकते हैं तो अपनी भाषाओं में करें। जब तक यह सदन खुद को भारतीय नहीं मानेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि भारत की जो कुछ भी कल्पनाएं हैं, जो हम करते हैं उसको ठोस रूप में यहां ला सकेंगे। इसके लिए मैं मानता हूं कि हिंदी के लोगों को भी, जो आग्रही हैं, जैसा माननीय रत्नाकर जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, मैं सहमत हूं, कि अन्य भाषाओं की समृद्धि के साथ ही हिन्दी की समृद्धि बढ़ेगी। जितनी हमारी प्रादेशिक भाषाएं समृद्ध होती जाएंगी, उतनी ही राजभाषा समृद्ध होती जायेगी। इसके लिए एक बात की तरफ विशेष ध्यान देना जरूरी है कि हिंदी आज जिस ढंग से बनाई जा रही है, यह अतिक्लिष्ट है।

अब जैसे "प्राधिकृत" शब्द कहने में मुझे बहुत देर लगती है, "पाठ" तो समझ सकता हूं। हम गए थे उत्तर प्रदेश, वहां विधानसभा में लिखा था एक जगह— "वितंतु अभियंता कार्यालय" तो हमारी समझ में आने में देर लगी, हमने उसकी अंग्रेजी पढ़ी "वायरलेस आपरेटर्स आफिस" फौरन समझ में आ गया। जो वितन्तु वाला मामला है, उसका तन्तु खींचने की बजाय अगर इसको छोटा सा कर देते तो क्या फर्क पड़ता। मैं मानता हूं कि यह उदारता हिंदी भाषा की दृष्टि से नहीं, यह उदारता आपको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी लाना आवश्यक है। जितनी प्रादेशिक भाषाएं आगे बढ़ेंगी, उतनी ही राष्ट्रभाषा भी सशक्त बनेगी। आप तो पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं, अंग्रेजों के समय के रिकार्ड हैं, उसमें बार-बार यह शब्द आता है— "बंदोबोस्त", यह "बंदोबस्त" अंग्रेजी का शब्द नहीं है, यह हिन्दी शब्द है, लेकिन जब-जब लॉ एण्ड आर्डर का सवाल आया है वहां-वहां "बंदोबोस्त" शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

महोदय, अभी मैं मलेशिया होकर आया। वहां भी तीन लेंगुवेज हैं। यह सुझाव बार-बार इस देश में आया है, जैसा कि विनोबा जी जैसे पंडितों ने हमको सुझाव दिया है कि हमारी एक लिपि रखी जाय इस देश में, भले ही भाषाएं

अलग-अलग हों, लेकिन लिपि एक रखी जा सकती है। हो सकता है इससे भाषाओं को समझना आसान हो जाएगा। तो मलेशिया की भाषा मले है, लेकिन मले की जो स्क्रिप्ट है वह रोमन है क्योंकि तामिल, संस्कृत, चाइनीज और अरेबिक लिपियां वहां हैं जबकि वहां मेजोरिटी पापुलेशन मुस्लिम है, लेकिन अरबी को नहीं रखा गया है, वहां रोमन लिपि है ताकि सारे समाज को वहां इकट्ठा ले जाना चाहते थे। मैं ऐसा मानता हूं कि हम भी अपने देश मे इस बात का एक माहौल पैदा करें कि हमारी लिपि एक हो और अन्य-अन्य भाषाओं की उस लिपि में लिखना शुरू करें तो यह जो झगड़ा बार-बार चलता है, वह भी कम हो सकेगा।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि हमने पाठों के बारे में किया, आप जानते होंगे कि हमारे सामने यह सवाल आया था कि एक पी० एच० डी० का विद्यार्थी था, जिसने थीसिस हिन्दी में लिखी, तो शास्त्रीय वैज्ञानिक संशोधन संस्थाएं जो हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। बड़ा यह केस चला। अब अगर इस देश में हिंदी मे लिखने पर कोई डॉक्टरेट न पा सके या हिन्दी में अगर कुछ लिखे तो वैज्ञानिक लोग इस देश के यह कहें कि जब तक आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, तब तक इसे नहीं मानते तो इस तरह की बात इस देश में नहीं चलनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। सबसे बड़ी कठिनता यह है कि अनुवाद की कठिनता है, इसका कारण यह है कि जब हमने संविधान में यह बात कही कि इस देश की राजभाषा हिन्दी होगी, उसके साथ-साथ अनुवाद चलना चाहिए था। अब हो रहा है कि अंग्रेजी को हम मानते हैं ओथेंटिक यानी प्राधिकृत या प्रमाणित कहिए, जो कुछ भी है और उसके बाद हम भाषान्तर करते हैं अन्य भाषाओं में। जैसा कि उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने सुझाव दिया था वह बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं और उस पर तुरन्त अमल होना चाहिए कि इस सदन में जो भी कागजात आएं, अगर वे सभी भाषाओं में आना शुरू हो जाएंगे तो यह अनुवाद की प्रक्रिया जो पीछे दौड़ती रहती, अंग्रेजी चलेगी आगे दौड़ती और आपके अनुवाद रहेंगे 40 साल पीछे। यह नहीं होगा।

आपने पाठों के प्राधिकृत रूप का अन्य जगहों पर इस्तेमाल करने के बारे में जो सोचा है, वह होगा नहीं ऐसा मैं मानता हूं। यह कभी नहीं होगा। इसके लिए मानसिकता की रुकावट के अलावा और कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस देश में कोई भी प्रादेशिक भाषा ऐसी नहीं है, जिसकी सशक्तता कम है चाहे बंगला हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलगू हो—बड़ी सशक्त भाषाएं हैं। इनमें काम करने वाले लोग भी बड़े सशक्त हैं। अभी मलेसिया में वर्ल्ड तमिल कान्फ्रेंस हो गई। वहां सारी दुनियां के तमिल जानने वाले लोग आए थे। यहां से भी लोग गए होंगें। ऐसे ही कान्फ्रेंस हिन्दी की हों, बंगाली की हों, मराठी की हों। अगर आप भाषान्तर साथ शुरू कर के यह विधेयक पारित कर देते हैं तो कल से यह शुरू होना चाहिए। इन पाठों के बारे में, उनके अनुवाद के बारे में आपको उसके साथ चलना चाहिए नहीं तो हमने संविधान 50 में पास किया। राजभाषा हिन्दी रखी लेकिन राजभाषा-वहीं-की-वहीं रही और अंग्रेजी और आगे गयी। यह बात नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ जैसा आपने कहा, उपाध्यक्ष जी, कि सिर्फ हमारी सद्भावना ही रहे तो इससे यह मामला हल होने वाला नहीं है। इन सद्भावनाओं को लागू करने के लिए सद्कार्य की जरूरत है और मुझे इसमें आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उससे बड़ी शिकायत है। क्योंकि इनका दिमाग ही नहीं चलता है

□[डा० बापू कालदाते]

क्योंकि "दे वांट टू होल्ड दि पोस्ट।" ये जो सारी जगहों पर बैठे हुए हैं, वे ये सोचते हैं कि अंग्रेजी को धक्का लगने के बाद उनकी भी सीटें चली जाएंगी। इस डर के मारे राज्य की किसी भाषा को वे बढ़ने नहीं देना चाहते। यह मैं अनुभव से कहता हूं। यह मैं कोई हवा में नहीं कहता। मैं संसद की राजभाषा समिति का एक सदस्य हूं और गए तीन सालों में मैं 200 दफ्तर गया हूं। मैंने देखा है कि भाषा का अनुवाद करना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन भाषा का अनुवाद करने की इच्छा रखना यह सबसे बड़ी बात हो रही है। यह हमारी मानसिकता है जो हमारी भाषाओं के खिलाफ है। आज जो चन्द लोग सत्ता पर हावी हुए बैठे हैं, वह उसे नहीं छोड़ना चाहते। इसके लिए अंग्रेजी का दिमाग चल रहा है। इन लोगों पर आप कैसे काबू पाएंगे, यह मुझे पता नहीं है। लेकिन आप शासन चलाते हैं इसलिए आपसे मेरी यह दरखास्त रहेगी कि हमें एक समृद्ध भारत के लिए समृद्ध भाषाओं की जरूरत है। महोदय, यह कहानियां कहने का अवसर नहीं है और न मैं कहना चाहता हूं लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि आज यह भावना बहुत जोर से उभरकर आ रही है कि हमारी राज भाषाओं में काम चलना चाहिए। इसमें भी एक कोआर्डिनेशन होना चाहिए। एक तरफ आप अथारिटेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट में जो मसले जाते हैं, उनमें दिक्कत होती है। जब हाईकोर्ट का जज आप बाहर से लाकर वहां बैठा देंगे तो अथारिटेटिव टेक्स्ट क्या होगा? आपका प्राधिकृत जो पाठ है, उसको हम मान लेते हैं लेकिन जो प्राधिकृत है उसको समझें तब न। तो इसके लिए प्राधिकृत को अंग्रेजी में एक और एक और प्राधिकृत पाठ बनाने का मामला हो जाएगा। तो एक सर्व सम्मत रूप में भाषा को समझना चाहिए। There must be a consistency and totality. यह अलग-अलग टुकड़ों में जो आप करते हैं, इसमें न भाषा का फायदा होता है और न राज्यों को भाषाओं की कद्र होती है। इसके लिए मेरी आपसे दरखास्त है कि यह जो बहुत अच्छा काम आप करना चाहते हैं, उसे पूरे तौर से "इन टोटलिटी" आप देखिए। जो काम आप करते हैं उसके परिणामों के लिए आपको इस दृष्टि से कोशिश करनी चाहिए।

मेरा आपसे एक और अंतिम निवेदन है, और वह है आठवें शेड्यूल के बारे में। जैसाकि देशमुखजी ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूं। आप जानते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं का हमारे यहां कितना प्रेम है। उसको नजर में रखते हुए आठवें शेडयूल में कुछ और भाषाएं जोड़ने की जरूरत है। मैं आपका ध्यान मणिपुर असेंबली के रेजोलूशन की ओर ले जाना चाहता हूं। आज नहीं दस साल पहले मणिपुर असेंबली ने सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि मणिपुर भाषा जिसका सौंदर्य सभी लोग जानते हैं, जिसकी संस्कृति सभी जानते हैं, उसको 8वीं अनुसूची में स्थान देने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया है। बार-बार आप इसको टाल रहे हैं, लेकिन जितना आप टालते रहेंगे उतना ही उसके लिए जोर बढ़ता रहेगा। मैं अभी गंगटोक गया था। मैं आपको कहता हूं कि आप इसको ज्यादा टालिए मत। जितना आप टालते हैं उतना हीं लोगों का नुकसान होता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है जिन विधान मंडलों ने आपके पास प्रस्ताव भेजे हैं अपनी भाषाओं को आफिसियल लेंग्वेज के रूप में स्थान देने के लिए उनको आप 8वीं अनुसूची में शामिल करें। इसके लिए आप जितनी जल्दी सोचें उतना ही अच्छा है। देर हो गई है, तो भी आप इस देश के कर्मठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रशासकीय अनुभव भी आपको है, आप इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखें और सही रूप से प्रयास करें कि इनको तुरन्त मान्यता मिले। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सदन के सामने जो

प्राधिकृत अनुवाद केन्द्रीय संशोधन विधेयक 1987 विचार के लिए रखा गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं और आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया ।

महोदय, यह जो विधेयक रखा गया है, यह सही मायने में "देर आयद दुरस्त आयद" की जो उर्दू या फारसी की कहावत है, उसको चरितार्थ करता है । हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि यह बिल वक्त पर आया है जिस समय हमारे देश में इसकी जरूरत पड़ रही है । हमें आजाद हुए 40 साल हो गए, जब हमने संविधान बनाया था और देश को डेमोक्रेटिक शासन दिया था । डेमोक्रेसी का मतलब होता है— यानि जनता का शासन, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन और जनता के लिए शासन । भारत की जनता में कम से कम 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपनी ही भाषा जानते हैं या हिन्दी ही जानते हैं ।

महोदय, जब सूरजकुंड में राज्य सभा के सदस्यों के लिए ट्रेनिंग कैम्प लगा था तो उस वक्त भी मैंने जो स्पीच दी थी वह हिन्दी में दी थी जब कि वहां 20 स्पीकर थे जो अंग्रेजी में बोले । मैंने उस समय भी यही कहा था कि कम से कम 16 स्पीकर तो हिन्दी में बोले होते ताकि हम लोगों को साफ बात समझ में आती । खैर हम लोग तो राज्य सभा के सदस्य हैं, हमारे यहां तो क्रीम माइंड के लोग आते हैं । ऐसे लोग नहीं आते है जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता— लेकिन लोक सभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जिनमें से अनेकों को अपनी भाषा का ही ज्ञान रहता है या हिन्दी का ज्ञान रहता है । यह ठीक है कि अंग्रेजी हमारे देश के हर प्रांत में, हर जिले में, हर गांव में नहीं बोली जाती है क्योंकि उसके लिए वहां अंग्रेजी स्कूल नहीं है, लेकिन यह इन्टरनेशनल लेंग्वेज है, इसके जरिए हमें जो मालुमात होती हैं, जो कुछ बाहर हो रहा है उसकी जानकारी होती है, नहीं तो देश तरक्की नहीं [illegible] कि अपना देश अब कम्प्यूटराइज्ड हो रहा है, इसमें अंग्रेजी का ज्यादा महत्व है । लेकिना अनुवाद के लिए आपने जो बिल रखा है, मेर कहना यह है कि, मेरा सुझाव यह है कि अपने देश की सभी भाषाएं ऐसी घुलमिल गई हैं कि उनमें अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू आदि का ज्यादा समावेश हो गया है तो अनुवाद या जो ट्रांसलेशन किया जाए वह इस ढंग से किया जाए कि वह सरल हो और सबकी समझ में आ सके । अन्य भाषाओं में भी आप अनुवाद करें तो सरल बोलचाल की भाषा में करना चाहिए 'जैसे ट्रेन लेट हो गई है ।' इसमें ट्रेन भी अंग्रेजी शब्द है, लेट भी अंग्रेजी शब्द है, हम केवल हो गई है का हिन्दी में प्रयोग करते हैं इसलिए यदि सभी भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाए तो समझने में आसानी होगी । जैसे चश्मा उर्दू का शब्द है, हिन्दी का नहीं है, लेकिन उसको लोग समझते हैं । जो ट्रांसलेशन किया जाता है उसमें रेल इंजन का भकभक इंजिन बनाया है, रुमाल का मुखमोचन वस्त्र बनाया है । यह अंग्रेजी से भी ज्यादा कड़ी भाषा है जिसे समझना कठिन है जबकि हिन्दी इतनी सरल भाषा है लेकिन सभी भाषाओं का जो ट्रांसलेशन हो उसमें अगर अंग्रेजी के लफ्ज आ रहे हैं, बोल चाल में आते हैं तो उनको वैसे ही रखा जा सकता है । अगर हिन्दी अनुवाद में सही लफ्ज ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो बोल चाल वाली भाषा चाहे अंग्रेजी के ही शब्द हों, रख दीजिए । जैसे साइक्लोस्टाइल है । इसका उपयुक्त शब्द ढूंढने में वक्त लग जाएगा, डिक्शनरी देखनी पड़ेगी । बड़े-बड़े विद्वानों को बैठा करके इस शब्द का अनुवाद सरल भाषा में ढूंढ सकते हैं । मेरा एक सुझाव है कि जैसे अपने यहां डिग्रीज दी जाती हैं एल एल०एम० की डिग्री है यह भी अंग्रेजी माध्यम से रखी गयी हैं । पी एच०डी०की डिग्री है । इसको ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम से करने वाले ही चांस ले सकते हैं । यह हमारे सामने बड़ी समस्या थी । क्योंकि मैं एक हिन्दी स्कूल की पढ़ी हुई छात्रा हूं । उर्दू, हिन्दी तो पढ़-लिख और

[कुमारी सईदा खातून]

बोल सकती हूं साथ ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हूं। अंग्रेजी भी अच्छी तरह पढ़-लिख सकती हूं लेकिन ज्यादा महत्व मैं हिन्दी भाषा को ही देती हूं। आजकल देखने में आता है जो हिन्दी स्पीकिंग लोग हैं उनको बुरी नजर से, नीची नजर से देखा जाता है क्योंकि उनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। मैं अंग्रेजी अच्छी समझती हूं, लिख सकती हूं। आज 40 साल हो गए हैं हमें आजादी लिए हुए लेकिन अगर हम हिन्दी सीखना चाहते और एक एक अल्फाज भी रोज बोलते तो हमें हिन्दी के पूरे शब्द आ गए होते। हम हिन्दी अच्छी बोल सकते थे।

हमारे पहले वक्ताओं ने कहा, वह सही कहा कि जब तक हम अपने दिल में ठान नहीं लेते हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं कर सकते कि हमको हिन्दी में ही बोलना है तब तक हिन्दी नहीं आ सकती। मुझको मद्रास में जाने का मौका मिला। जो सरफेस मिनिस्ट्री की कन्सल्टेटिव कमेटी है उसमें वहां जाने का मौका मिला था। वहीं मीटिंग हुई। वहां पर मैंने देखा कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वे भी हिन्दी नहीं जानते। गांव के लोगों की तो बात ही छोड़िए। जो छोटे तबके के लोग हैं अपनी-अपनी भाषाएं बोलते हैं।

आप यह जो सभी भाषाओं में अनुवाद करने का संशोधन लाए हैं इसके पहले भी मैंने इस हाउस में रिटन में दिया था कि हमें उर्दू में अनुवाद मिलना चाहिए। अपनी पार्लियामेंट की जितनी रूलिंग होती है वह हर भाषा में मिलनी चाहिए। कम से कम जो भाषाएं यहां मानी गई हैं तो हमें उन भाषाओं में कागजात मिलने चाहिए।

सुबह संस्कृत के बारे में एक प्रश्न आया था इसी हाउस में। हमने दीवारों पर भी लिखा हुआ देखा है--संस्कृत लाईए, संस्कृति बचाइए। हमारे मध्य प्रदेश का यह हाल है कि एक लड़की ने संस्कृत में एम०ए० किया, पी एच०डी० की। गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन आज तक उसको कहीं सर्विस नहीं मिली। यह देखकर मुझे अफसोस हुआ। कौन मां-बाप है जो अपनी लड़की को संस्कृत में पढ़ने के लिए कहेगा जबकि उसको गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद भी सर्विस के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं। साउथ में, पुरी में, या बनारस में जहां भी संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं मैं यह चाहती हूं कि आप यह सोचिएगा कि उसमें कितने लोग एडमीशन लेने के लिए उत्सुक होंगे और कितने लोग जो वहां से संस्कृत पढ़ कर निकलेंगे, सर्विस पा सकेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरा ख्याल करके जो आप अपने देश में विकास की बातकर रहे हैं उस पर पैसा खर्च करिए। फालतू पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो यह कहूंगी कि पहले उनको हिन्दी सिखाएं। जब तक हिन्दी नहीं सीखेंगे संस्कृत कैसे सीखेंगे। संस्कृत सीखने के पहले हिन्दी की बुनियाद होनी चाहिए। हिन्दी में ही लिखी जाती है संस्कृत।

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : संस्कृत हमारे देश की सभी भाषाओं की जननी है। अगर संस्कृत आ जाएगी तो सभी भाषाएं आसानी से सीख सकते हैं। तेलगू में 80 प्रतिशत संस्कृत के लफ्ज हैं।

कुमारी सईदा खातून : मैंने पहले ही कहा है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। यह मुझे मालूम है। मैंने यह कहा है कि हिन्दी सीख लेंगे तो संस्कृत आसानी से सीख सकेंगे। पहले हिन्दी का ज्ञान थोड़ा आ जाए। हालांकि मैंने आपकी दुआ से संस्कृत का एक शब्द सीखा है—मौतकम। यह मुझे याद है संस्कृत के लिए जो यूनिवर्सिटी बन रही है तो इसको उन्हीं प्रांतों में पहले बनाने की कोशिश कीजिए जहां पर हिन्दी भाषा बोली जाती है। जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है जो हिन्दी प्रांत हैं पहले वहां पर इन विश्व-विद्यालयों को बनाइए फिर बाद में अन्य प्रांतों में बनाइए और पूरे भारत में संस्कृत का विकास करिए। इससे जरूर हमें खुशी

होती है कि हमारे देश में हमारी मातृ भाषाओं के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

†[कुमारी سعیدہ خاتون (मध्य प्रदेश) :— माननीय सभा अध्यक्ष जी - सदन के सामने जो "प्राथमिक शिक्षा अनुवाद केन्द्रीय अधिनियम १९८७" विचार के लिये रखा गया है- मैं उस का समर्थन करती हूं और आप का शुक्रिया अदा करती हूं कि आप ने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय - यह जो विधेयक रखा गया है - यह सही मायने में "देर आयद दुरुस्त आयद" की जो उर्दू या फारसी की कहावत है उसको चरितार्थ करता है। हम उस का स्वागत करते हैं - क्योंकि यह बिल वक्त पर आया है - जिस वक्त हमारे देश में उसकी जरूरत पड़ रही है - हमें आजाद होने ४० साल हो गये - जब हम ने संविधान बनाया था और मुल्क को डेमोक्रेटिक शासन - दिया था। डेमोक्रेसी का मतलब होता है - यानी जनता का शासन - जनता के द्वारा चलाया जाने वाला और जनता के लिये शासन - भारत की जनता में कम से कम ८० फीसद लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ही भाषा जानते हैं या हिन्दी ही जानते हैं।

सभापति महोदय - जब सर्वोच्च न्यायालय में राजभाषा सभा के सदस्यों के लिये ट्रेनिंग कैम्प लगा था। तो उस वक्त भी मैं ने स्पीच दी थी वह हिन्दी में दी थी - जबकि वहां ४० स्पीकर थे जो अंग्रेजी में बोले - मैं ने उस वक्त भी यही कहा था कि कम से कम १६ स्पीकर तो हिन्दी में बोले होते ताकि हम लोगों को साफ बात समझ में आती - खैर हम लोग तो राजभाषा सभा के सदस्य हैं - हमारे यहां तो करीम माईनारिटी के लोग आते हैं - ऐसे लोग नहीं आते जिन को कुछ ज्ञान नहीं होता - लेकिन लोक सभा में जनता के चुने हुये प्रतिनिधि आते हैं - जिन में से अनेकों को अपनी भाषा का ही ज्ञान रहता है - यह ठीक है कि अंग्रेजी हमारे देश के हर प्रान्त - हर जिले में - हर गांव में नहीं बोली जाती है क्योंकि इसके लिये वहां अंग्रेजी स्कूल नहीं है - लेकिन यह इन्टरनेशनल लैंगवेज है - इसके जरिये हमें जो मालूमात होती है - जो कुछ बाहर हो रहा है - इसकी जानकारी होती है - नहीं तो देश तरक्की नहीं कर सकता - लेकिन हम यह भी देखते हैं कि अपना देश अब कम्प्यूटराइज्ड हो रहा है - इस में अंग्रेजी का ज्यादा महत्व है - लेकिन अनुवाद के लिये आप ने जो बिल रखा है - मेरा कहना यह है - मेरा सुझाव यह है कि अपने देश में सभी भाषाओं ऐसी घुल मिल गई हैं कि उन में अंग्रेजी - हिन्दी - उर्दू आदि का ऐसा

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

کر اس شبد کا انوواد سرل بھاشا میں ڈھونڈ سکتے ھیں۔

میرا ایک سجھاؤ یہ ھے کہ جسے اپنے یہاں ڈگریز دی جاتی ھیں۔ ایل۔ایل۔ایم۔ کی ڈگری ھے ۔ یہ بھی انگریزی مادھیم سے رکھی گئی ھے۔ پی۔ایچ۔ڈی۔ کی ڈگری ھے۔ اسکو زیادہ تر انگریزی مادھیم سے کرنے والے ھی چانس لے سکتے ھیں۔ یہ ھمارے سامنے سب سے بڑی سمسیا تھی۔ کیونکہ میں ایک ھندی اسکول کی پڑھی ھوئی چھ ترا ھوں۔ اردو ھندی تو پڑھ لکھ اور بول سکتی ھوں۔ ساتھ ھی انگریزی مادھیم سے پڑھی ھوں۔ انگریزی بھی اچھی طرح پڑھ لکھ بول سکتی ھوں لیکن زیادہ مہتو ھندی بھاشا کو ھی دیتی ھوں۔ آجکل دیکھنے میں آتا ھے جو ھندی اسپیکنگ لوگ ھیں۔ انکو بری نظر سے دیکھا جاتا ھے ۔ کیونکہ انکو انگریزی کا گیان نہیں ھے۔ میں انگریزی اچھی سمجھتی ھوں۔ لکھ سکتی ھوں۔ آج ۴۰ سال ھو گئے ھمیں آزادی لئے ھوئے لیکن اگر ھم ھندی سیکھنا چاھتے اور ایک ایک لفظ روز بولتے تو ھمیں ھندی کے پورے شبد آ گئے ھوتے۔ ھم ھندی اچھی بول سکتے تھے۔

ھمارے پہلے وکتاؤں نے جو کہا وہ صحیح کہا کہ جب تک ھم اپنے دل میں یہ ٹھان نہیں لیتے۔ ھم اپنے وچاروں کو شدھ نہیں کرلیتے کہ ھم کو ھندی میں بولنا ھے۔ تب تک

[کماری سعیدہ خاتون]

سماویش ھوگیا ھے۔ تو انوواد یا جو ٹرانسلیشن کیا جائے۔ وہ اس ڈھنگ سے کیا جائے ۔کہ وہ سرل ھو اور سبکی سمجھ میں آسکے ۔ دوسری بھاشاؤں میں بھی انوواد کریں تو سرل بول چال کی بھاشا میں کرنا چاھئے۔ جیسے ٹرین لیٹ ھوگئی ھے۔ اسمیں ٹرین بھی انگریزی کا شبد ھے۔ لیٹ بھی انگریزی کا شبد ھے۔ ھم صرف ھوگئی ھے کا ھندی میں پریوگ کرتے ھیں۔ اسلئے اگر سبھی بھاشاؤں کو دیوناگری لپی میں لکھا جائے تو سمجھنے میں آسانی ھوگی۔ جیسے چشمہ اردو کا شبد ھے ھندی کا نہیں۔ لیکن اسکو لوگ سمجھتے ھیں ۔ جو ٹرانسلیشن کیا جاتا ھے اسمیں ''ریل انجن،، کا ''بھک بھک انجن،، بنایا گیا ھے۔ رومال کو ''مکھ موچن وستر،، بنایا گیا ھے یہ انگریزی سے بھی زیادہ کڑی بھاشا ھے جسے سمجھنا مشکل ھے۔ جبکہ ھندی اتنی سرل بھاشا ھے لیکن سبھی بھاشاؤں کا جو ٹرانسلیشن ھو اسمیں اگر انگریزی کے لفظ آرھے ھیں۔ بول چال میں آتے ھیں۔ تو انکو ویسے ھی رکھا جاسکتا ھے۔ اگر ھندی انوواد میں صحیح لفظ ڈھونڈنے میں دقت آرھی ھے۔ تو بول چال والی بھاشا چاھے انگریزی کے شبد ھوں۔ رکھدیجئے۔ جیسے سائیکلو اسٹائیل ھے۔ اس کا اپیکت شبد ڈھونڈنے میں وقت لگ جائگا۔ ڈکشنری دیکھنی پڑیگی ۔ بڑے بڑے ودوانوں کو بیٹھا

ہونے کے بعد بھی سروس کیلئے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ ساؤتھ میں۔ پری میں یا بنارس میں ۔ جہاں بھی سنسکرت وشوودیالیہ بنائے جارہے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں آپ یہ سوچئے کہ اسمیں کتنے لوگ ایڈمیشن لینے کیلئے اتسک ہوں گے ۔ اور کتنے لوگ جو وہاں سے سنسکرت میں پڑھکر نکلیں گے ۔ سروس پاسکیں گے۔ میرا آپ سے انورودھ ہے کہ پورا خیال کرکے جو آپ اپنے دیش میں وکاس کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر پیسہ خرچ کریئے ۔ فالتو پیسہ برباد کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں تو یہ کہونگی کہ پہلے انکو ہندی سکھائیے جب تک ہندی نہیں سیکھیں گے۔ سنسکرت کیسے سیکھ سکیں گے۔ سنسکرت سیکھنے سے پہلے ہندی کی معلومات ہونی چاہیئے۔ ہندی سے ہی لکھی جاتی ہے سنسکرت۔

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : संस्कृत हमारे देश की सभी भाषाओं की जननी है। अगर संस्कृत आ जाएंगी तो सभी भाषाएं आसानी से सीख सकते हैं। तेलुगु में 80 प्रतिशत के संस्कृत लफ्ज हैं।

کماری سعیدہ خاتون : میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ سنسکرت سبھی بھاشاؤں کی جننی ہے۔ یہ مجھے معلوم ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ہندی سیکھ لینگے تو سنسکرت آسانی سے سیکھ سکینگے۔ پہلے ہندی کا گیان تھوڑا ہندی نہیں آسکتی ۔ مجھکو مدراس میں جانے کا موقع ملا ۔ جو سرفیس منسٹری کی کنسلٹیٹیو کمیٹی ہے ۔ اسمیں وہاں جانے کا موقع ملا تھا ۔ وہیں میٹنگ ہوئی۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ جتنے پڑھےلکھے لوگ ہیں۔ وہ بھی ہندی نہیں جانتے۔ گاؤں کے لوگوں کی تو بات ہی چھوڑئے۔ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں۔ اپنی اپنی بھاشائیں بولتے ہیں—

آپ یہ جو سبھی بھاشاؤں میں انوواد کرنے کا سنوشودھن لائے ہیں ۔ اسکے پہلے بھی میں نے اس ہاؤس میں رٹن دیا تھا کہ ہمیں اردو میں انوواد ملنا چاہئے ۔ اپنی پارلیمنٹ کی جتنی رولنگ ہوتی ہے۔ وہ ہر بھاشا میں ملنی چاہئے۔ کم سے کم جو بھاشائیں یہاں مانی گیئی ہیں ہمیں ان بھاشاؤں میں کاغذات ملنے چاہئے۔

صبح سنسکرت کے بارے میں ایک پرشن آیا تھا ۔ اس ہاؤس میں ۔ ہم نے دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ''سنسکرت لائیے سنسکرتی بچائیے،، ہمارے مدھیہ پردیش کا یہ حال ہے کہ ایک لڑکی نے سنسکرت میں ایم۔اے۔ کیا۔ پی۔ایچ۔ڈی۔ کی۔ گولڈ میڈلسٹ ہے۔ لیکن آج تک اسکو کہیں سروس نہیں ملی۔ یہ دیکھکر مجھے بہت افسوس ہوا ۔ کون ماں باپ ہیں جو اپنی لڑکی کو سنسکرت میں پڑھنے کیلئے کہے گا ۔ جبکہ اُسکو گولڈ میڈلسٹ

□[کماری سعیدہ خاتون]
آجائے۔ حالانکہ میں نے آپ کی دعا سے سنسکرت کا ایک شبد سیکھا ہے۔ ''سوتگم،، یہ مجھے یاد ہے۔

سنسکرت کیلئے جو یونیورسٹی بن رہی ہے۔ تو اسکو انہیں پرانتوں میں پہلے بنانے کی کوشش کیجئے جہاں پر ہندی بھاشا بولی جاتی ہے۔ جیسے مدھیہ پردیش ہے۔ اتر پردیش ہے۔ جو ہندی پرانت ہیں۔ پہلے وہاں پر ان وشوودھیالیوں کو بنائیے پھر بعد میں دوسرے پرانتوں میں بنائیے اور پورے بھارت میں سنسکرت کا وکاس کرنے۔ اس سے ضرور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے دیش میں ہماری ماتری بھاشاؤں کے اوپر بہت دھیان دیا جا رہا ہے۔ ان شبدوں کے ساتھ میں آپ کو دھنیدواد دیتے ہوئے اپنا استھان گرہن کرتی ہوں۔]

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और काश्मीर) : वाईस चेयरमैन साहब, अथोराइज्ड ट्रांसलेशन (सेन्ट्रल लाज) अमेंडमेंट बिल 1987 का मैं समर्थन करता हूं। इस सिलसिले में मैं दो एक बातें अर्ज करना चाहता हूं, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, उनकी तरफ आप ध्यान दें।

सवाल यह होता है कि अथोराईज्ड ट्रांसलेशन जो है वह सेन्ट्रल ऐक्ट में 8वें शैड्यूल में दिया गया है कि उसमें होना चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि अथोराइज्ड ट्रांसलेशन में मजाहत चाहता हूं मिनिस्टर साहब से, आपके जैहन में यह बात साफ होगी कि इसमें क्या होना चाहिए क्योंकि इसके मुताबिक वजाहत होनी चाहिए। अब पहले हम इसको ले लें। कन्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया अंग्रेजी जुबान में और हिन्दी जुबान में है। सवाल यह है कि अगर इसका काश्मीरी में तरजुमा करना चाहें और यह कहें कि इसका तरजुमा हुआ तो यह अथोराइज्ड नहीं होता है जब तक, जैसा कि आपने फरमाया सेन्टर की तरफ से खुद इसका तरजुमा न हो जाए। जैसा कि आपने फरमाया कि शुरूआत होनी चाहिए तो हमें अपने जैहन में साफ रखना चाहिए कि इसको करना है। इसके लिए मेरी एक अर्ज है और वह यह है कि इस वक्त जो कन्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया की पहली किताब है उसका जो माइन्थ शैड्यूल है यह बताएं कि उसे कब तक हमको दे देंगे ताकि तमाम रियासतों को यह मिल सके। आप काश्मीरी में काश्मीर को और आन्ध्र प्रदेश को तेलुगु में कब तक दे देंगे ? जब आप उनको दे देंगे उसके बाद का जो काम है वह उनकी जिम्मेदारी होगी। जो सेन्ट्रल ऐक्ट है, जो स्टेटयूट लाज हैं उनका तरजुमा इन जबानों में होना चाहिए। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारी मुकद्दस किताब है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का तरजुमा उर्दू में एक तो अशरफ अली साहब थानवी का तरजुमा है और दूसरा हमारे अहमद रजा खां बरेली का तरजुमा है। लेकिन जब हम उनका मुकाबला करते हैं तो साफ जाहिर होता है कि उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है और उनके मायनों में भी फर्क पड़ गया है। . . . (**व्यवधान**) . . . यह जो मुखतलिफ है इसकी बात कर रहा हूं। मैं यह कोट कर रहा हूं कि अशरफ अली सहाब खां ने उस आयत का जो तरजुमा किया और अहमद रजा खां बरेली ने जो तरजुमा किया उन दोनों में फर्क था और यह कन्ट्रोवर्सी उठी थी कि उसके दो तरजुमे आ गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहला काम सरकार को यह करना है कि कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया का सभी जुबानों में तरजुमा करना है और स्टेट्यूट बुक पर जो सेन्ट्रल ऐक्ट हैं उन सबका तरजुमा इन जुबानों में होना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे करनी है वह यह है कि जो स्टेट अपना

ऐक्ट करते हैं उन पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट का जो ऐक्ट हो वह भी अथोराइज्ड होना चाहिए । जैसे आन्ध्र प्रदेश में तेलुगु में है तो वहां जो ऐक्ट हुए वह आन्ध्र प्रदेश गवर्नमेंट के हुए । लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि वहां जो ऐक्ट वहां की भाषा में बने वे भी अथोराइज्ड हों । इसी तरह हमारे काश्मीर में, इण्डियन पीनल कोड जो है उसका हम काश्मीरी में तरजुमा करें और वह वहां होना चाहिए । यह भी एक काम है । जैसा आपने अभी फरमाया इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर है तो इसका क्या आपने ख्याल रखा है ? मिनिस्टर साहब ने जब यह बिल हमारे सामने पेश किया है तो उन्होंने जरूर इसका ख्याल रखा होगा । जब हम एक्ट पास करने के लिए हाउस में आए हैं तो इसकी क्या-क्या जरूरियात हैं क्या इन्तजामात आपने किए हैं खाली यह कहने से तेलुगु में या काश्मीरी में या अन्य किसी जबान में तरजुमा होगा वह सही माना जाएगा और उसको कोट कर सकते हैं यह कहना काफी नहीं है जब तक कि एक कापी आप उसको न दे दें जिन्होंने उसको कोट करना है । आप इसके मुताबिक भी सदन को बताने की कृपा करेंगे कि आपने क्या किया है इस मामले में और क्या आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है सेन्ट्रल होम मिनिस्ट्री ने ताकि इस एक्ट को हम अमली सूरत दे सकें । एक तो कहने की बात है और एक पास करने की बात है । अमल में लाने के लिए अमली सूरत हो और तीसरी बात जनाब हनुमनतप्पा साहब ने जो कही मैं उसकी हिमायत करता हूं कि जब यह बिल पास हो जाए तो साइमलटेनियसली तमाम लैंग्वेज में अनुवाद हो तब हम यह समझेंगे कि आपकी नीयत साफ है इस बिल को लाने में । जब आप कन्नड़ में भी लाएंगे, काश्मीरी में भी लाएंगे, गुजराती में भी लाएंगे तब हम समझेंगे कि आपकी नीयत साफ है । नहीं तो खाली यह एक तारा होगा । खाली बिल पेश करने से कोई फायदा नहीं होगा । मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह तीन चीजें हैं जिनकी तरफ आप को जरूर ध्यान देना होगा और यह बताना होगा कि कंक्रीट टर्म्स में कि हमने वाकायदा क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है अमली जामा पहनाने के लिए जो फारमेलटी है वह फारमेलिटी हल कर दी है इसको अमली सूरत देने के लिए आपने कदम उठाया है । तीसरी बात यह है कि संविधान के आठवें शैड्यल में जितनी ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट मुमकिन समझे उतनी जबानें लाएं । चित्त बसु जी बैठे हुए हैं जब लोक सभा के मैम्बर थे तो उन्होंने नेपाली भाषा को आठवें शैड्यूल में लाने के लिए एक बिल पेश किया था । उनकी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आश्वासन दिया था कि नेपाली को भी आठवें शैड्यूल में शामिल कर लेंगे और उन्होंने बिल वापिस ले लिया । अभी तक वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ । मेरा कहना यह है कि डोगरी हमारी जबान है जो जम्मू की जबान है इसको भी आठवें शैड्यूल में शामिल कर लेना चाहिए । मैं एक काश्मीरी होने के नाते आप से अर्ज कर रहा हूं कि डोगरी जबान को भी आठवें शैड्यूल में शामिल कर लिया जाए । इन अल्फाज के साथ में आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

†[شری غلام رسول ٹاک (جموں اور کشمیر) : وائس چیرمین صاحب۔ اتھورائزڈ ٹرانسلیشن (سینٹرل لاز) امینڈمینٹ بل ۱۹۸۷ء کا میں سمرتھن کرتا ہوں ۔ اس سلسلے میں میں دو ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ۔ آپکی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انکی طرف آپ دھیان دیں ۔

سوال یہ ہے کہ اتھورائیزڈ ٹرانسلیشن تمام سینٹرل ایکٹ جوآپٹن کی

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

[شری غلام رسول مٹو] □

وہ انکی ذمہداری ہوگی۔ جو سینٹرل ایکٹ ہے ۔ جو اسٹیٹیوٹ بکس ہیں انکا ترجمہ ان زبانوں میں ہونا چاہیئے ۔ میں اسلئے کہتا ہوں کیونکہ ہماری مقدس کتاب ہے۔ قرآن شریف۔ قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں ایکتو اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ ہے اور دوسرا ہمارے احمد رضاخان بریلوی کا ترجمہ ہے ۔ لیکن جب ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسمیں اور اسمیں بہت بڑا فرق ہے ۔ اور انکے معنوں میں بھی فرق پڑگیا ہے ——— ''مداخلت'' ——— یہ جو مختلف ہے اسکی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ اشرف علی خان صاحب نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے اور احمد رضا خان بریلوی نے جو توجمہ کیا ہے ان دوتوں میں فرق تھا ۔ اور یہ کنٹروورسی اٹھی تھی کہ اسکے دو ترجمے آگئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام سرکار کو یہ کرنا ہے کہ کانسٹی ٹیوشن آف انڈیا کا سبھی زبانوں میں ترجمہ کرنا ہے اور اسٹیٹیوٹ بک پر جو سینٹرل ایکٹ ہیں ان سب کا ترجمہ ان زبانوں میں ہوناچاہئے۔ دوسری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اپنا ایکٹ کرتے ہیں ان پر بھی آپکی گرفت ہونی چاہئے ۔ اور اسٹیٹ گورنمینٹ کا جو ایکٹ ہو وہ اتھورائزڈ ہونا چاہئے۔ جیسے آندھرا

آٹھویں شیڈول میں عندرج زبانوں میں۔ اسمیں ہونا چاہئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتھورائزڈ ٹرانسلیشن ہو، وضاحت چاہتا ہوں منسٹر صاحب سے۔ آپکے ذہن میں یہ بات صاف ہوگی کہ اسمیں کیا ہونا چاہئے۔ کیونکہ اسکے متعلق وضاحت ہونی چاہئے۔ اب پہلے ہم اسکو لے لیں۔ کانسٹی ٹیوشن آف انڈیا انگریزی زبان میں اور ہندی زبان میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسکا کشمیری میں ترجمہ کیا جائے اور یہ کہیں کہ اسکا یہ ترجمہ ہوا تو یہ اتھورائیزڈ نہیں ہوتا ہے جب تک۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا سینٹر کی طرف سے خود اسکا ترجمہ نہ ہو جائے ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شروعات ہونی چاہیئے تو ہمیں اپنے ذہن میں صاف رکھنا چاہیئے کہ اسکو کرنا ہے۔ اسکے لئے میری ایکہ عرض ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی پہلی کتاب ہے اسکا جو آٹھویں شیڈول ہے یہ بتائیں کہ اسے کب تک ہم کو دیدیں گے۔ تاکہ تمام ریاستوں کو وہ مل سکے ۔ آپ کشمیری میں کشمیر کو اور آندھرا پردیش کو تیلگو میں کب تک دیدینگے ۔ جب آپ انکو دے دیں گے اسکے بعد کا جو کام ہے

کرتا ہوں کہ جب یہ بل پاس ہو جائے۔ تو سائملٹینیسلی تمام زبانوں میں ترجمہ ہو۔ تب ہم یہ سمجھیں گے کہ آپکی نیت صاف ہے۔ اس بل کو لانے میں جب آپ کنٹڑ میں بھی لائینگے۔ کشمیری میں بھی لائینگے۔ گجراتی میں بھی لائینگے۔ تب ہم یہ سمجھینگے کہ آپکی نیت صاف ہے۔ نہیں تو خالی یہ ایک نعرہ ہوگا۔ خالی بل پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تین چیزیں ہیں۔ جنکی طرف آپکو ضرور دھیان دینا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کنکریٹ ٹرمس میں کہ ہم نے بافائدہ کیا انفراسٹرکچر تیار کیا ہے۔ عملی جامہ پہنانے کیلئے جو فارملٹی ہے وہ فارملٹی حل کردی ہے اسکو عملی صورت دینے کیلئے آپنے قدم اٹھایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آیئن کے آٹھویں شیڈول میں جتنی زیادہ سے زیادہ زبانیں گورنمنٹ مناسب سمجھے اتنی زبانیں لائے۔ چتا باسو جی بیٹھے ہیں وہ جب لوک سبھا کے ممبر تھے تو انہوں نے نیپالی بھاشا کو آٹھویں شیڈول میں لانے کیلئے ایک بل پیش کیا تھا انکو شریمتی اندرا گاندھی نے آشواسن دیا تھا کہ نیپالی کو بھی آٹھویں شیڈول میں شامل کرلینگے۔ اور انہوں نے بل واپس لے لیا تھا۔ لیکن ابھی تکہ وہ آشواسن پورا نہیں ہوا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ڈوگری ہماری زبان ہے جو جموں کی زبان ہے اسکو بھی آٹھویں شیڈول میں شامل کرنا چاہیے۔ پردیش میں۔ تیلگو میں ہے تو وہاں جو ایکٹ ہوئے وہ آندھرا پردیش گورنمنٹ کے ہوئے۔ لیکن اسمیں یہ کریئے کہ وہاں جو ایکٹ وہاں کی بھاشا میں بنے وہ بھی اتھورائیزڈ ہوں۔ اس طرح ہمارے کشمیر میں انڈین پینل کوڈ جو ہے اسکا ہم کشمیری میں ترجمہ کریں اور وہ وہاں ہونا چاہئے۔ یہ بھی ایک کام ہے۔ جیسا آپنے ابھی فرمایا اسکیلئے انفراسٹرکچر ہے تو اسکا کیا آپنے خیال رکھا ہے۔ منسٹر صاحب نے جب یہ بل ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو انہوں نے ضرور اسکا خیال رکھا ہوگا۔ جب ہم ایکٹ پاس کرنے کیلئے ہاؤس میں آئے ہیں تو اسکی کیا کیا ضروریات ہیں، کیا انتظامات آپنے کئے ہیں۔ خالی یہ کہنے سے تیلگو میں یا کشمیری میں یا دوسری زبان میں ترجمہ ہوگا وہ صحیح مانا جائیگا اور اسکو کوٹ کرسکتے ہیں۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے جب تکہ کہ ایک کاپی آپ اسکو نہ دےدیں جنہوں نےاسکو کوٹ کرنا ہے۔ آپ اس کے متعلق بھی سدن کو بتانے کی کرپا کرینگے کہ آپنے کیاکیا ہے۔ اس معاملے میں اور کیا آپنے انفراسٹرکچر تیار کیا ہے۔ سینٹرل ہوم منسٹری نے تاکہ اس ایکٹ کو ہم عملی صورت دے سکیں۔ ایک تو کہنے کی بات ہے اور ایک پاس کرنے کی بات ہے۔ عمل میں لانے کیلئے عملی صورت ہو اور تیسری بات جناب ھنومنت تھاپا صاحب نے جو کہی میں اسکی حمائت

□ [شری غلام رسول مٹو]

میں ایک کشمیری ہونے کے ناتے آپ سے عرض کر رہا ہوں کے ڈوگری زبان کو بھی آٹھویں شیڈول میں شامل کر لیا جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کیلئے وقت دیا۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔]

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) संशोधन विधेयक, 1983 का हृदय से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने समर्थन का शब्द जोड़ा क्यों मेरा तात्पर्य यह है कि मैं एक अधिवक्ता हूं और एक विधायक होने के नाते इस संशोधन विधेयक का बारीकी से [illegible] इसमें जो [illegible] करने वाले लोग की स्थिति [illegible] यह मानती हूं कि यह बहुत [illegible] है और इसका स्वागत है। अभी संविधान के आठवें अनुच्छेद में जितनी भाषाएं हैं उसके अनुसार अधिकृत अनुवाद न होने के कारण जिन जिन प्रांतों में अपनी भाषाओं में अनुवाद किया जाता था उन कानूनों का तो उन्हें को जानकारी होती थी निर्णयों में उलझना पड़ता था, क्योंकि अधिकृत अनुवाद न होने के कारण अपने ढंग से अनुवाद कर के अपनी रुचि के अनुसार अनुवाद करके न्यायालयों को अपना-अपना निर्णय ले लेते थे तो उसी कारण निर्णय भी हमारे सामने आए जिससे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता। यह अधिनियम आ जाने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस अधिनियम से जो फायदा होने वाला है वह केन्द्रीय अधिनियम, आदेशों, विनियमों एवं उप विधियों के प्राधिकृत अनुवाद का कोई अधिनियम, हिन्दी भाषा के इलावा अन्य 14 भाषाओं का प्रावधान नहीं था जिसके कारण अब इसके माध्यम से वह कमी पूरी हो जाएगी।

इस अधिनियम के कारण प्रांतीय भाषाओं का बहुत ही आदर होगा सम्मान होगा एवं इसके कारण राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलेगा। माननीय, इस अधिनियम के कारण न्यायाधिपतियों को भी बहुत ही सुविधा हो जावेगी क्योंकि आजकल उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपति एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित किये जाने लग गये हैं तो इस अधिनियम से उस प्रांत की भाषाओं में जो प्रैक्टिस हुई है, मामलों के पास होते हैं उन प्रांतीय भाषाओं के बयानों को सही समझने के लिए, प्रैक्टिस को समझने के लिए यह अधिनियम बहुत अच्छा आशीर्वाद का उन न्यायाधीशों को है, उस प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने हैं उनको उनको सही ढंग से समझने में और सही रूप से निर्णय देने में बहुत ही सुविधा होगी। इस संशोधन विधेयक के कारण राजभाषा अधिनियम, 1963 की सही तस्वीर अब हमारे सामने आयेगी।

जो मंत्री महोदय ने कहा कि केवल ऐसे दिशा-निर्देश कर देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं अपने निवेदन करूंगा कि यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की जो मंशा थी वह मंशा इस अधिनियम के पास होने पर पूरी हो जायेगी। महोदय, इस संबंध में मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि संविधान के आठवें अनुच्छेद में वर्तमान में 15 भाषाएं का जिक्र है। सिंधी भाषा को 21 वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में जोड़ा गया है। चूंकि कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में जिस समय कि राजभाषा के सम्बन्ध में चर्चा चल रही थी उस समय राजस्थान का पूरा प्रतिनिधित्व न होने के कारण राजस्थानी भाषा, जो संस्कृत के बिल्कुल अनुरूप निकली हुई है और जिसका कि उपयोग हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े भाग में हो रहा है, को नहीं डाला गया। बहुत अर्से से मांग चली आ रही है कि राजस्थानी को भी आठवें अनुच्छेद में जोड़ा जाये।

राजस्थान से "मानक" नाम की राजस्थानी भाषा में एक इतनी बढ़िया मासिक पत्रिका निकल रही है, जो इसके लिए सतत प्रयत्नशील है कि राजस्थानी भाषा को भी आठवें अनुच्छेद में जोड़ा जाये। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा को भी आठवें अनुच्छेद में जोड़ा जाये।

माननीय, भारत सरकार ने जो नयी शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया है उसमें प्रांतीय भाषाओं को भी पूरा महत्व दिया गया है। इसी के कारण इस संशोधन के आने से उस नीति का भी समर्थन होता है। इसी उद्देश्य से गृह मंत्री जी यह विधेयक अब जाकर ले आये हैं और वर्तमान में इसकी आवश्यकता है।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अभी इस समय आप पीठासीन अधिकारी हैं, लेकिन कुछ देर पूर्व जब आप संयोधन विधेयक की चर्चा में भाग ले रहे थे तो जो व्यवधान आपने व्यक्त की, तकलीफ जाहिर की उससे हम लोगों को भी तकलीफ हुई। आपने खुद ही बताया कि आपके प्रदेश की या जो आपकी मातृभाषा है वह कन्नड़ है उसमें आप बोलना चाहते हैं और अंग्रेजी में बोलने में कोई खूबी नहीं होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि यदि कन्नड़ भाषा में आप बोलिएगा तो उसको इस सदन के अन्य माननीय सदस्य समझ नहीं सकेंगे और साथ ही साथ आप अपनी बात को समझा नहीं सकते हैं जबकि किसी भी सदस्य का मकसद है अपनी बात को समझाना तो मजबूरी में उनको उस भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जिस भाषा को सब लोग समझें। मैं पहले आपकी इस बात का पूरा समर्थन करता हूं। मैं संविधान में जितनी भी 15 या 16 भाषाएं दी हुई हैं। उन सभी भाषाओं में यहां पर जितने भी विधेयक लाये जायें, या जितनी भी कार्यवाही हो, वह उन सभी भाषाओं में हो और उनका प्राधिकृत अनुवाद किया जाये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मान लिया जाए, रेड्डी साहब अपनी तेलुगु भाषा का यहां प्रयोग करना चाहें, उसमें बोलना चाहें, या हमारे राज्य मंत्री जी उड़िया भाषा में बोलना चाहें और चित्त बसु जी बंगला भाषा में बोलना चाहें, तो उस भाषा में अनुवाद का यहां प्रावधान नहीं है जिससे अन्य सदस्य समझ सकें।

तो इसलिए मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए अपनी इस बात को भी जोड़ता हूं कि हमारे संविधान में जो यह पंद्रह भाषाएं हैं आठवें शेड्यूल में:--

1. असमिया ।
2. बंगला ।
3. गुजराती ।
4. हिन्दी ।
5. कन्नड़ ।
6. कश्मीरी ।
7. मलयालम ।
8. मराठी ।
9. उड़िया ।
10. पंजाबी ।
11. संस्कृत ।
12. सिन्धी ।
13. तमिल ।
14. तेलुगु ।
15. उर्दू ।

इन सभी भाषाओं में उनके अनुवाद का यहां पर प्रावधान होना चाहिए जिससे कि उस भाषा को प्रत्येक सदस्य समझ सकें, समझने वाले भी और जो बोलना चाहें उस भाषा में, वह बोल भी सके।

माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इसके पीछे सरकार की पिछली मंशायें हैं, क्योंकि सन् 1963 से इसका

□[**श्री सत्य प्रकाश मालवीय**]

क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया है और उसके कारण अदालतों में कठिनाई होती है क्योंकि उसका कोई प्राधिकृत अनुवाद नहीं है हिंदी के अतिरिक्त , जिसको न्यायालय मान्यता दे ।

एक माननीय सदस्य : हिंदी को भी नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इसलिए इस संशोधन को यहां लाना पड़ा है । यह दुर्भाग्य का विषय है, कि सन् 1950 में हमारा संविधान पारित किया गया था और आफिशियल लंग्युएजज का उद्धरण---यह भी मेरा दुर्भाग्य है कि इसको मुझे विदेशी भाषा में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि यदि हिंदी संविधान में पढ़ूं उसका अनुवाद तो खुद मेरी समझ में नहीं आता---उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा । अनुच्छेद 343---

"(1) The official language of the Union shall be Hindi in Devnagari script.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement. "

मान्यवर, जिस समय संविधान बन रहा था, उस समय इस बात का प्रावधान किया गया कि हिंदी हमारे देश की सारे काम-काज की भाषा रहेगी, लेकिन पन्द्रह वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल यहां पर हो सकता है । लेकिन 1950 के बाद से 1987 तक, 37 वर्ष हो गये , लेकिन आज भी अंग्रेजी भाषा में इस देश की कार्यवाही और इस संसद की कार्यवाही होती है, और यहां यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा देश की गुलामी का प्रतीक थी । जिस वक्त इस देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, नेताजी जी, सुभाषचन्द्र बोस जी ने हिंदी में कहा था कि "तुम हमको खून दो, हम तुमको आजादी देंगे ।" लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि "स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और आजादी हम हासिल करके रहेंगे" ।

गांधी जी ने अगस्त, 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया और इकबाल ने "सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा" दिया ।

मान्यवर , मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि हमारे राष्ट्रीय नेताओं को आजादी हासिल करनी थी, तो इसलिए इस देश की सार्वजनिक सभाओं में इस देश की जनता से उस जबान में वह बात करते थे जिस जबान को इस देश के लोग समझ जाएं और उसका इस्तेमाल कर सकें । तो, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी इस देश की संसद में, चाहे लोक सभा हो या राज्य सभा हो, लोग आकर के इसकी कार्यवाही को देखते हैं, तो कभी-कभी लोगों के मन में यह शंका व्याप्त हो जाती है कि ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान की लोक सभा में या राज्य सभा में न हो बल्कि किसी विदेशी संसद् की राज्य सभा में बैठे हुए हैं ।

तो मान्यवर, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए । हमारी देश की जितनी भी पंद्रह भाषायें हैं, उनकी वृद्धि करनी चाहिए, उनका विकास करना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी तो इस देश से जानी ही चाहिए । (**समय की घंटी**) जिस प्रकार का अनुवाद होता है, उस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि मैं स्वयं इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से आता हूं, बी० ए० तक जो मेरा विषय था, वह हिंदी ही था, लेकिन मान्यवर, जिस तरीके से यहां पर अनुवाद होता है, वह मेरी समझ में भी नहीं आता, आपकी तो समझ में आने का सवाल ही नहीं । कल ही माननीय रेल मंत्री जी का एक विधेयक यहां पर पारित हुआ, नाम था

उसका--"भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) संशोधन विधेयक, 1987"। वह मेरी समझ में नहीं आया। तब मान्यवर, मैंने जो इसका मूल अंग्रेजी था, देखा--"मैट्रो, रेलवेज (कंस्ट्रक्शन आफ वर्कस) अमेंडमेंट बिल" फौरन समझ में आ गया। इसी तरीके से मान्यवर, एक विधेयक है... (**व्यवधान**)

श्री गुलाम रसूल मट्टू : हिन्दी वालों ने ही नुकसान किया हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हिन्दी वालों ने यह नहीं किया है, यह तो सरकार कर रही है।

मान्यवर, एक विधेयक है--सामान्य पारिश्रमिक संशोधन विधेयक, 1987, जो श्रम विभाग का है, संगमा जी ने इसको प्रस्तुत किया है। इसमें "संदाय" शब्द का इस्तेमाल किया गया है और है--"अधिकथित शास्ती" जो मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह जो वर्तमान विधेयक है, उसके उद्देश्य और कारणों में "कोर्ट" का इस्तेमाल किया गया है उद्धृत करना, इसमें दिया है, कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो आम आदमी की समझ में आ सकता है। डा० राम मनोहर लोहिया बराबर कहा करते थे कि हमारा जो शब्दकोष है, उसका विकास किया जाना चाहिए, उसकी वृद्धि की जानी चाहिए। इस कारण डाक्टर लोहिया "रेलवे-स्टेशन" का इस्तेमाल करते थे, "प्लेटफार्म" का इस्तेमाल करते थे, "मस्जिट्रेट" शब्द का इस्तेमाल करते थे और जो प्रथम सूचना रपट होती है, जिसको अंग्रेजी में एफ० आई० आर० कहते हैं, उसके लिए डा० लोहिया "रपट" शब्द का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी मान्यवर, मैं यहां पर डायरेक्टरी देख रहा था, शायद जगदम्बी प्रसाद जी यादव इसका मतलब समझें, टेलीफोन डायरेक्टरी में तो हिन्दी में लिखा है--टेलीफोन डायरेक्टरी, लेकिन एक शब्द उसके बगल में है--"रुग्ण वाहिका", मान्यवर, जो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने अंग्रेजी की जो डायरेक्टरी रखी थी, उसको देखा। उसमें लिखा था--"एम्बुलेन्स"। "रुग्ण वाहिका" मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन "एम्बुलेन्स" वह समझ में आ गया। "एम्बुलेन्स" को तो रिक्शे वाला भी समझ जायगा, खोमचे वाला भी समझ जायगा, एक आदमी जो निरक्षर है, पढ़ना नहीं जानता है वह भी समझ जायगा।

मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार के अनुवाद की व्यवस्था यहां पर है, अगर इसी प्रकार की व्यवस्था की जायगी तो वह बिल्कुल निरर्थक रहेगा, बिल्कुल बेकार रहेगा। मान्यवर जब विदेश जाइए तो एक अंग्रेजी में इमबारकेशन कार्ड मिलता है तो वह कार्ड मुझे भी अंग्रेजी भाषा में दिया गया, एअर-इंडिया का जहाज था। मैंने कहा कि इसका हिन्दी में लाइए। तो उसने कहा कि हिन्दी में छपता ही नहीं। हमने फिर कहा--तेलुगु में लाए, कन्नड़ में लाए। तो उसने कहा कि सिवा अंग्रेजी भाषा के किसी दूसरी भाषा में नहीं छपता है। मैंने सवाल किया इसी संसद् में तो मुझे उसका उत्तर मिला कि चूंकि एयर इंडिया के जहाज को ज्यादातर विदेशी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा में भारत सरकार को, विभाग को छपवाना होता है।

मान्यवर, आप हवाई अड्डे पर चले जाइए, वहां लिखा हुआ है--"इंदिरा गांधी नेशनल एअर-पोर्ट", जोकि अंग्रेजी में लिखा है और जो हमारे संविधान की 15 भाषाएं हैं, उसमें से किसी भाषा में भी नहीं लिखा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की 15 भाषाएं हैं, उनकी उन्नति होनी चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए। गोपालसामी जी यहां पर नहीं हैं, डी० एम० के० के सदस्य यहां पर नहीं हैं, हम कहेंगे

□ [श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

कि हम तमिल के विरोधी नहीं हैं, हम कन्नड़ के विरोधी नहीं हैं, जितनी भी भारती भाषाएं हैं उनका विकास होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को इस देश से जाना चाहिए. . . . (व्यवधान) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please conclude. We have to complete this Bill before 4 o'clock.

□ [श्री सत्य प्रकाश मालवीय] : मान्यवर कोई बोलने वाला नहीं है. . . (व्यवधान) . .

मान्यवर, एक और निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद समाप्त करूंगा । यह जो अनुवाद है, उसका आप और भाषाओं में भी अनुवाद कीजिए जो हमारी 15 भाषाएं हैं, उनमें अनुवाद होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसको आम आदमी समझ सके, जो पढ़ा-लिखा नहीं है वह भी समझ सके । साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इस देश की राष्ट्रीय एकता मजबूत हो या देश अखंड रहे, भाषा का विवाद खत्म हो विभिन्न प्रकार के विवाद जिनसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा होता है वह खत्म हो तो निश्चित रूप में कम-से-कम आपके देश की संसद में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जितनी भी 15 भाषाएं हैं, उनमें एक साथ अनुवाद का इन्तजाम आपको करना चाहिए और अगर आप नहीं करेंगे तो जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर विवाद होता रहेगा । आप उसको रोकने में असमर्थ रहेंगे । मैं इस विधेयक का पुनः समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक से कम-से-कम हमारी जो 14 भाषाएं हैं, उनका सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि कम-से-कम उनके कार्यकाल में इस प्रकार का विधेयक आया है जिससे कि भविष्य में हमारी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए काम होंगे । इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री **जगदम्बी प्रसाद** यादव (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष, जी, मैं अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले सम्माननीय मंत्री जी का अनुवाद को पाठ कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं । मैं इसी के साथ कुछ अर्ज करना चाहूंगा कि पाठ तो आपने कराया है लेकिन पाठ आपने किसी भी मंत्रालय को पढ़ाया नहीं । यह आजादी का 40वां वर्ष है और राजभाषा अधिनियम, को 24 वर्ष हो गए हैं और वार्षिक कार्यक्रम को 19 वर्ष हो गए हैं । एक वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम के लिए 19 वर्ष हो गए हैं । आप विभाग के प्रभारी हैं । आपने अपने ही यहां पूरा नहीं किया है तो किसी दूसरे विभाग में कैसे पूरा होगे इसलिए मैं आप का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पाठ करने से ही नहीं, पाठ को पठनीय बनाकर करना पड़ेगा तब जाकर यह पाठ सही होगा । इस पाठ के साथ यदि आप संविधान का पाठ भी ले आते तो अच्छा था । अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि इससे हमारे न्यायालय को लाभ होगा । मुझे तो अफसोस है कि जिस समय अंग्रेजी संविधान बना उस समय हिंदी में भी संविधान बना था तो दोनों को उसी समय स्वीकृति मिल जानी चाहिए थी । लेकिन किसी अंग्रेजी-दां ने इसको नीचे रख दिया और वह पड़ा रह गया । उस समय जो हिन्दी को राजभाषा बनाने वाले थे, उन्होंने सोचा कि अब तो बात खत्म हो गयी । लेकिन इसके दुष्प्रयास में लगे लोगों ने सोचा कि ठीक है पास करा लिया लेकिन देखें इसको कैसे कार्यान्वित करवाते हैं । आज तक उनका अड़ंगा विद्यमान है । आज तक राजभाषा हिन्दी नहीं है । अनुवाद की भी भाषा हिंदी नहीं है ।

मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि योजना विभाग की सब चीजों के लिए योजना है, लेकिन क्या हिंदी के लिए कोई योजना

है? नहीं है। आप क्यों नहीं हिंदी को राज-भाषा बनाने के लिए कोई योजना नहीं बनाते। वित्त मंत्रालय में कोई हिंदी का कक्ष नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे, वित्त मंत्री से मैंने पूछा कि जब आप मुख्य मंत्री जब थे तो बजट और योजना किस भाषा में भेजते थे? उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में भेजने के लिए बाध्य था क्योंकि हिंदी में भेजो तो 15 दिन उसके अंग्रेजी अनुवाद में फिर अंग्रेजी में विचार और फिर अंग्रेजी की हिंदी। तो हम पैसे की लड़ाई लड़ें या भाषा की लड़ाई लड़ें। तो आप देखिये कि किस प्रकार से आजादी प्रतिबंधित चलती है। इसीलिए गांधी जी ने आजादी के ठीक बाद कहा था कि कह दो दुनिया से कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि उसके साथ अंग्रेजियत जुड़ी हुई है। वह एक प्रकार की संस्कृति है और वह भारतीय संस्कृति को तोड़ती है। आज हम सब देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को तोड़-मरोड़ कर रख दिया गया है कि आज दुनिया में हमारी कोई स्वतंत्र भावना नहीं है। सभापति, महोदय, आज हमारी स्थिति कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दर्जन से ऊपर हमारी सशक्त भाषाएं हैं, हिंदी और संस्कृत के साथ, लेकिन 40 वर्षों में हम कोई ऐसी भाषा विकसित नहीं कर सके जिसको हम बोल सकें, घर में चिट्ठी लिख सकें। (समय की घंटी) मुझे थोड़ा समय और चाहिए। दो-चार बातों पर और बोलूंगा।

उप सभाध्यक्ष (श्री एच० हनुमनतप्पा) : माफ करेंगे मैं लाचार हूं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप समय बढ़ाइए। इसको आज के बजाय कल तक चलाइए। मैं प्रभारी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी हिन्दुस्तान में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है और उसको बनाए रखने के लिए आप विदेशों के इशारे पर नाच रहे हैं। जब से देश में कम्प्यूटर आया है, विदेश से हजारों कम्प्यूटर यहां के बच्चों के लिए भेज दिए। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में इतने अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहेगा और उनका यहां व्यापार भी चालू रहेगा। आप देखिए कि किस प्रकार से उनका वर्चस्व यहां बढ़ रहा है। आज चाहे कम्प्यूटर हो, टेलीप्रिंटर हो, टेलेक्स हो, इन सुविधाओं के आने से हिन्दी जो इस देश की राजभाषा है वह 50 साल पीछे चली गई है और बिना काट-छांट के ही हिन्दी को आप पीछे धकेल रहे हैं। आप कहेंगे कि इसका डिजीटीकरण कर रहे हैं। लेकिन उसका उपयोग कौन करेगा? डिमांड चलाइये या अंग्रेजी का चलाइये और हिन्दी का वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। जो अनुवाद की आज स्थिति है, वही इसकी भी होगी। मैंने वित्त मंत्रालय से पूछा कि आप अंग्रेजी का बजट देखिए सही छपता है, कौमा, फुलस्टॉप, हिजिज सब ठीक होते हैं, लेकिन हिन्दी का देखो तो कौमा का फुलस्टॉप हो क्या हिजिज भी गलत छपती हैं। 1750 पेज अंग्रेजी में है तो हिन्दी में 750 छपा है। यह गलती हिन्दी में क्यों होती है? पहले जो अनुवाद होता था उसमें जज के रैंक का अधिकारी उसको देखता था। आज भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में अनुवाद होता भी है तो वह जानबूझ कर गलत होता है। आज हिन्दी का अनुवाद छापने के लिए उस प्रेस में दिया जाता है जो अधिक पैसा ले। इस तरह से अनुवाद गलत हो रहा है तो हिन्दी जो राज-भाषा है, वह आज अनुवाद की भी भाषा नहीं रह गई है। मैंने एक विभाग में योजना मंत्री से पूछा कि कितनी रिपोर्टें आती हैं जिनका हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हिन्दी में अनुवाद न हुई हजारों रिपोर्टें होंगी। जल संसाधन विकास विभाग को भी मैंने चिट्ठी लिख कर देखा, लेकिन कोई उपाय नहीं है जिससे आप हिन्दी को राजभाषा बना सकें। इसलिए मैं प्रभारी मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम अपने विभाग को देख लें। जो

□ [श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

आपका वार्षिक कार्यक्रम है उसका कार्यान्वयन हो पाता है या नहीं। अगर आप खुद अपने विभाग से वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं करा पाते है तो दूसरे विभाग को कैसे कहेंगे। आप कहते हैं कि कुछ विभागों में शत प्रतिशत काम हिन्दी में हो। लेकिन आप देखें कि पहले आपके विभाग से उसकी शुरुआत हो। तीन वर्ष से आपका यह कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उसका कार्यान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? मैं समझता हूं कि भारत सरकार की स्वयं की राजभाषा नीति साफ नहीं है। जब भारत सरकार की राजभाषा नीति साफ नहीं होगी तो फिर इसका कार्यान्वयन कैसे होगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी राजभाषा की नीति को साफ करें। साफ करने के साथ-साथ हमारे मित्रों ने जो बातें कहीं हैं वे गम्भीर बातें हैं, सटीक बातें हैं कि सभी राज्यों की राजकीय भाषाओं को उसी प्रकार से प्रयोग करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए जिस प्रकार से हिन्दी को आपको देना चाहिए। हिन्दी की लड़ाई अंग्रेजी से हो सकती है, प्रान्तीय भाषाओं से नहीं। लेकिन जितनी भारत की भाषाएं हैं वे सब हमारी सांस्कृतिक भाषाएं हैं, जब तक उनका विकास नहीं होता है, हिन्दी भी विकसित नहीं हो सकती। इस विकास को लाने के लिए आपके सामने अंग्रेजी दीवार की तरह खड़ी है। जब तक यह दीवार रहेगी, तब तक भारतीय भाषाएं प्रगति नहीं कर सकतीं। हमारे मित्र ने कहा कि तमिल, तेलुगु और मलयालम में 80 से 90 प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं, यानि तत्सम शब्दों के चलते हम हिन्दुस्तान की भाषाओं को जोड़ सकते है। लेकिन एक बात के लिए मैं सावधान करना चाहता हूं कि फिर संस्कृत भाषा जिसके साथ हिन्दी का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, इसको बिगाड़ने के लिए हम तैयार हैं तो वह संस्कृति का वाहन नहीं होगी। संस्कृति का वाहन ऐसी भाषा होती है जो राष्ट्र भाषाएं हो, अंग्रेजी संस्कृति का वाह नहीं हो सकती। किसी ने कहा कि मिल्टन का पैराडाइज लास्ट की तरह कोई पुस्तक हिन्दी में है, तो उन्होंने कहा कि कबीर का कहा हुआ एक-एक वाक्य—

"सिहों के नहि लेहंड़े, हंसों की नहि पांत।
लालों की नहि बोरियां, साधु न चले जमात।"

लाख लाख रुपए का है जो पैराडाइज में नहीं मिलेगा। इसलिए भारतीय संस्कृति ही उसका वाहन बन सकती है।

गंगा, यमुना तराई की मिट्टी की सुगन्ध, कावेरी और कृष्णा सब का पानी का, शुद्ध जल की महिमा का प्रयोग हो। तब जाकर भारतीय संस्कृति ओत-प्रोत हो सकती है। कभी भी अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं बन सकती। हमारी संस्कृति का वाहन नहीं बन सकती।

मैं एक बात और कहूंगा आप विचार करके देखें। हमारी संस्कृति शब्दों को कितना कितना बिगाड़ रही है। 'राम' को 'रामा' कहा जा रहा है। 'कृष्ण' को 'कृष्णा' कहा जा रहा है। जो 'वैश्य' हैं अपने को अंग्रेजी में 'वैश्या' लिख लेते हैं। शब्द की विकृति से, बिगड़ने से हमारी संस्कृति बिगड़ रही है, हमारा आचरण बिगड़ रहा है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से संस्कृति की रक्षा करें। उपसभाध्यक्ष जी की इच्छा है इसलिए मैं अपनी आखिरी बात कह कर समाप्त करना चाहूंगा...।

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० हनुमनतप्पा): यह तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमंडेशन है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: विनम्र निवेदन है कि यह भाषा का सवाल है, यह भारतवर्ष की जनता जनार्दन का सवाल है। कोई देश कैसे अपने को स्वतंत्र कहेगा जबकि उसकी अपनी भाषा में संसद न चले, उसकी अपनी भाषा में उसका प्रशासन न चले, उसकी अपनी भाषा में न्याय नहीं मिले

उसकी अपनी भाषा में उसको समझने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए उसका प्रशासनिक अधिकारी तैयार न हो। हम जानते हैं कि इस देश की जनता यह सब क्यों बर्दाश्त किए हुए है क्योंकि वह 68 प्रतिशत अनपढ़ है। 50 परसेंट गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अगर ऐसा न हो तो कोई कारण नहीं किसी देश में अपनी भाषा न चले। हम अंग्रेजी की महिमा गाते हैं। पहले इंग्लैण्ड में अंग्रेजी नहीं थी फ्रेंच थी। जब उन्हें पता लगा कि फ्रेंच के गुलाम हैं तो उन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी को बढ़ाना शुरू किया। बाइबिल अंग्रेजी में लिखी गयी। तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि अंग्रेजी में बाइबिल लिखी जा रही है। हम उस अंग्रेजी की बात करते हैं हम अपनी राजभाषा की बात नहीं करते। आज हमारे मित्र बोल रहे थे कि पाठ को ठीक करने की बात क्यों आयी। आज इस देश में भाषा नीति को देखकर क्षेत्रीयवाद का उदय हुआ है। यह क्षेत्रीयवाद भाषा में ही प्रवेश कर रहा है अगर आप आज भी इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है तो यह क्षेत्रीयवाद अंग्रेजी भाषा के द्वारा अग्रसारित होकर, आगे बढ़ कर देश को तोड़ने में बड़ा भारी कांड कर सकता है। इसलिए आज राजभाषा हिन्दी को भी इस ढंग से रखिये जैसे चतुर मैकाले ने अंग्रेजी को रखी। उन्होंने अंग्रेजी को अनिवार्य ही नहीं बनाया बल्कि अंग्रेजी में काम भी करवाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी का सम्मान बढ़ा दिया, उपयोगिता बढ़ा दी। शासनकर्ता होने के नाते उसने अंग्रेजी का सम्मान बढ़ाया। आज भी आवश्यकता है कि राजभाषा हिन्दी की उपयोगिता को बढ़ाया जाये, उसका सम्मान बढ़ाया जाये। उसका काम में व्यवहार बढ़ा दिया जाये तब जाकर यह राजभाषा वास्तव में राजभाषा बन सकती है।

मैं अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका जो विधि विधान है राजभाषा अधिनियम, आप ही बनाते है। वह कोई हिन्दी वाला नहीं बनाता। इसके क्रियान्वयन कराने के लिए आप ही प्रभारी हैं। इसकी जिम्मेदारी लें। जो कम से कम अपने सचिवगण हैं, उनसे निवेदन करें कि जो राजभाषा कार्य समिति के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, सदस्य है वे इनका पालन करें तभी दूसरों से पालन करा सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं यह निश्चित पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो 'पाठ' आप लाये हैं यह एक सही दिशा में निर्देश है। उस दिशा पर आप चलेंगे तो आप संविधान को भी सही दिशा में रखेंगे जिससे सचमुच भारत एक कदम आगे भाषा की स्वतंत्रता में बढ़ेगा।

4.00 P.M.

श्रीमती कृष्णा कौल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का आदर-पूर्वक और तहेदिल से समर्थन करते हुए माननीय गृह मंत्री को इसके लाने के लिए बधाई देती हूं। इस सम्बन्ध में मुझे केवल यह कहना है कि दो चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है।

एक तो हर भाषा में हर प्रकार की भावा-भिव्यक्ति में कभी-कभी कठिनाई होती है क्योंकि भाषा अपनी विशेष संस्कृति, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। अतःयह सेफगार्ड करना आवश्यक है कि कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए।

दूसरा, अगर कहीं जरूरी हो तो आम फहम शब्दों के प्रयोग से अनुवाद करते समय हिचकना नहीं चाहिए। घसीट कर, तोड़-मरोड़ के क्वाइन्ड शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. I HANUMANTHAPPA): Discussion con-; eluded. The Minister will reply tomorrow.

nfShri H. Hanumanthappa]

We will take up now Short Duration Discussion on drought and flood. I have to inform the hon. Members that the time allotted by the Business Advisory Com-; mittee was two hours and thirty minutes. The time already taken isi five hours and eighteen minutes. There are eleven more speakers. So 1 request the hon. Members to be brief. Shrimati Bijoya Chakravarty. Not here. Shri Chittai Basu.

SHORT DURATION DISCUSSION ON THE DROUGHT AND FLOOD SITUATION IN DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY—Contd.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the drought situation followed by floods in some parts of the country is causing a great concern to the people of our country and I believe and trust that the Government is also equally concerned about it. Let us, to begin with, understand the immensity and magnitude of the problem. According to information available with me, nearly 450 million people have been hit by this year's drought and this drought is unparalleled in the history of a century in our country. More than 262 districts of the total 407 districts in the country are directly affected by the t situation. What is the impact of this unprecedented drought in our economy ? I shall not dwell much on it. I would only give certain estimates given by renowned economists of our country. According to the estimates made by the economists of our country, loss of grain crop alone in kharif season of 1987 is of the magnitude of 47 per cent. Over the potential or expected output for the country, a shortfall, as a matter of fact, is? of 33 million tonnes in the kharif alone. Drought has also caused loss of more than 70 per cent in the oilseeds production. It has also caused loss to about 40 per cent in the cotton production and also 26. 5 per cent of the total sugarcane crop. Therefore, you can understand the great loss the economy has to face because of this unprecedented drought. Now, this will have disastrous impact on the economy. Our economy is today afflicted with many malaise. I would onlv mention three because time is very short at my disposal. Sir, you are aware that the accumulated trade deficit of our country is about 15, 000 crores. Sir, you are also- equally aware of the disastrous future of the economy of our country because of the budgetary deficit Of Rs. 14, 000 crores in the last two years. In this connection, one economic fact is also to be taken into account that the Seventh Five Year Plan document fixed the highest ceiling of the deficit financing for five years at Rs. 14, 000 crores. Only after two years, we have crossed that ceiling for the deficit in our country. Therefore, you can very well unci

; rave impact of this situation, Now, this shortage as 1 have mentioned earlier is going to force the country to tak to import of a wide variety of e commodities and according to certain economists, that import costs us about Rs. 7, 000 crores additionally. Now, I come to the point relating to the strategy of the Government in relation to meeting the situation.

My charge against the Government is that there has been no well-thought-out, integrated, cohesive, coherent strategy, economic strategy, fiscal strategy, to meet this grave and disastrous danger. I would only suggest that the Government should find time to formulate an integrated, economic and fiscal strategy to meet the situation and that strategy must essentially and impera-Jy include the following items, the following factors or features. The first is, there should be complete elimination of conspicuous consumption, wasteful expenditure. Unless that is done, there cannot be a comprehensive, well-integrated, coherent strategy, economic and fiscal, to meet the situation. Then there should be reduction in the import bill by curbing the import of goods of elitist consumption. It is needless for me to give the details. The next point is preservation of resources like water, electricity and other forms of energy. The last but the most important point is the expansion of public distribution. system both in terms of coverage of items and in terms of coverage of area. I have only mentioned four essential features of the strategy.

Sir, I regret and I am shocked that the j Government does not come to its senses I and even does not think of n rohprent